

न्यायालय-द्वितीय अपर जिला न्यायाधीश गोहद जिला भिण्ड मध्यप्रदेश
 ।। पीठासीन अधिकारी पी.सी.आर्य ।।

व्यवहार वाद क्र०-15बी/2014

संस्थापन दिनांक 14.02.2011

फाइलिंग नंबर-230303000152012

मॉ दुर्गा बीज भण्डार गोहद जिला भिण्ड म०प्र०

द्वारा-प्रोप्राईटर प्रभाकर भट्टेले

निवासी गोहद जिला भिण्ड म०प्र०

.....वादी

बनाम

सोना जैनेटिक्स प्राईवेट लिमिटेड 502

पांचवी मंजिल रिटी रत्न कॉम्प्लेक्स

नीयर पंचबटी सर्कल अंबावदी

अहमदाबाद -6 (गुजरात)

द्वारा- मैनेजिंग डायरेक्टर दिनेश राजौरिया

.....प्रतिवादी

वादी द्वारा श्री प्रवीण गुप्ता अधि० ।

प्रतिवादी द्वारा श्री अशोक पचौरी अधि० ।

— निर्णय —

(आज दिनांक 28-06-2016 को घोषित किया गया)

1. वादी द्वारा उपरोक्त वाद वादी कंपनी के विरुद्ध व्यापारिक समव्यवहार की अवशेष राशि 2,13,499/-रुपये मय ब्याज की वसूली हेतु प्रस्तुत किया गया है।
2. प्रकरण में यह तथ्य निर्विवादित है कि प्रतिवादी कंपनी विभिन्न प्रकार के अनाजों के बीजों के क्रय विक्रय का व्यापार अहमदाबाद गुजरात से करती है। वादी मॉ दुर्गा खाद्य भण्डार गोहद का प्रोप्राईटर होकर प्रतिवादी कंपनी का नियुक्त वितरक (**distributor**) है। यह भी स्वीकृत है कि उनके मध्य ज्वार बाजरा के बीजों बाबत समव्यवहार होता रहा है और खराब निकले बीजों की वापिसी भी वादी द्वारा प्रतिवादी को की जाती रही है। यह भी निर्विवादित है कि प्रतिवादी कंपनी द्वारा वादी के विरुद्ध सिटी सिविल कोर्ट अहमदाबाद में एक सिविल वाद क्रमांक-47/11 संचालित किया था जो दिनांक 09.08.12 को निराकृत हो चुका है जिसके निष्पादन की कार्यवाही अहमदाबाद न्यायालय से गोहद सिविल न्यायालय को अंतरित की गई है।
3. वादी का वाद सार स्वीकृत तथ्यों के अलावा संक्षेप में इस प्रकार है कि वह मॉ दुर्गा खाद्य भण्डार के नाम से गोहद में अनाजों की उपज के लिये बीज के क्रय विक्रय का व्यवसाय करता है और उसे प्रतिवादी कंपनी द्वारा डिस्ट्रीब्यूटर नियुक्त करते हुए बीजों के विक्रय के लिये अधिकृत किया है। उसने वर्ष 2009-2010 में एडवांस बुकिंग के रूप में सत्तर हजार रुपये प्रति कि०ग्रा० की दर से 30240 कि०ग्रा० बाजरा एवं 50 रुपये प्रति कि०ग्रा० की दर से 1665 कि०ग्रा० ज्वार बुक करते हुए प्रतिवादी को डिमाण्ड ड्राफ्ट क्रमांक-769097, 769098, 769099, 7690100, 7690101, 7690102 के माध्यम से दिनांक 21.01.09 को 2,50,000/-रुपये तथा डी०डी० क्रमांक-027796 दिनांक 30.01.09 को 60000/-रुपये कुल 3,10,000/-रुपये का भुगतान किया था। प्रतिवादी कंपनी क नियुक्त व्यक्ति

दिनेश दुवे एवं वीरेन्द्र त्यागी को भी खर्च का भुगतान मार्केटिंग खर्चा, बीज बेचने के लिये नियुक्त कर्मचारियों के मासिक वेतन आदि का भी भुगतान बीज वितरण में ट्रान्स्पोर्टर की राशि मिलाकर कुल 4,04,824/-रुपये का भुगतान प्रतिवादी को किया और प्रतिवादी के निर्देश पर अन्य विक्रेताओं को ज्वार बाजरा का बीज सप्लाई किया था जिसमें बाजरा एस-7722, 11565 कि०ग्रा०, बाजरा गजराज 1755 कि०ग्रा०, बाजरा महावीर 2430 कि०ग्रा०, 15750 कि०ग्रा० एवं ज्वार एस-201, 980 कि०ग्रा० सप्लाई की गई थी। जिसमें श्रीकृष्ण बीज भण्डार मुरैना, मिश्रा बीज भण्डार मेहगांव, भदौरिया बीज भण्डार गोरमी, हरिश्चन्द्र जैन भिण्ड, तउजा बीज भण्डार मौ को बाजरा का बीज सप्लाई किया था जो कुल 10935 कि०ग्रा० सप्लाई किया गया था।

4. वादी का यह भी अभिवचन है कि प्रतिवादी द्वारा उसे दिनांक 17.09.09 को माल विक्रय न हो पाने के कारण ज्वार बाजरा वापिस मंगाया गया था। जिसमें उसने कुल बाजरा 1642.5 कि०ग्रा० एवं ज्वार 882 कि०ग्रा० वापिस किया था। इस प्रकार से उसको प्रतिवादी द्वारा कुल 15750 कि०ग्रा० बाजरा एवं 1980 कि०ग्रा० ज्वार सप्लाई की गई जिसमें से वादी ने अन्य डीलरों को कुल 10935 कि०ग्रा० बाजरा सप्लाई किया। और 1642.5 कि०ग्रा० प्रतिवादी को वापिस किया गया। जिससे उसकी ओर से प्रतिवादी के पास कुल 12577.5 कि०ग्रा० बाजरा पहुंच गया जिसे संपूर्ण बाजरा 15750 कि०ग्रा० में से घटाने पर उस पर कुल 3172.5 कि०ग्रा० बाजरा शेष रहा और ज्वार 1098 कि०ग्रा० बाकी रही। शेष रहा बाजरा 3172.5 कि०ग्रा० 70/-रुपये प्रति कि०ग्रा० की दर से एवं शेष ज्वार 1098 कि०ग्रा० 50/-रुपये प्रति कि०ग्रा० की दर से तय थी और जो माल प्रतिवादी द्वारा सप्लाई किया गया, उसका कुल भुगतान 2,96,175/-रुपये उसे प्रतिवादी को अदा करना था। वर्ष 2009-10 के पूर्व उसके प्रतिवादी पर 18,000/-रुपये बकाया थे जिसे जोड़ते हुए उसकी ओर से प्रतिवादी पर कुल 3,14,175/-रुपये का भुगतान किया जाना था। लेकिन उसकी ओर से प्रतिवादी पर 404824/-रुपये का भुगतान पहुंच गया। जो समायोजित करने पर कुल 90649/-रुपये उसके प्रतिवादी पर बकाया निकलते हैं तथा जो बीज खराब निकला था, उसके संबंध में यह वापिस होना तय था। जो उसके द्वारा 1755 कि०ग्रा० गजराज बाजरा उपज योग्य न होने से और खराब होने से वापिस किया गया था जिसकी राशि 1,22,850/-रुपये बनती है जिसे जोड़ने पर प्रतिवादी पर उसका कुल 2,13,499/-रुपये बकाया निकलते हैं जिसके संबंध में उसने कई बार प्रतिवादी कंपनी से फोन पर बात की। उसके बाद भुगतान न करने पर मांग सूचना पत्र दिनांक 16.11.10 को जरिये स्पीड पोस्ट डांक से प्रस्तुत किया और अवशेष राशि का भुगतान न करने पर उक्त 213499/-रुपये एवं उस पर दावा प्रस्तुति दिनांक से वसूली तक 18 प्रतिशत वार्षिक ब्याज एवं अन्य खर्चों की आज्ञाप्रति प्रदत्त किये जाने की प्रार्थना की गई है।

5. प्रतिवादी की ओर से वादी के अभिवचनों का विनिर्दिष्टतः प्रत्याख्यान करते हुए इस आशय के अभिवचन स्वीकृत तथ्यों के अलावा किये गये हैं कि वाद पत्र की कण्डिका-3 की उप कण्डिका-5 व 6 में असत्य तथ्य लिखे हैं। उप कण्डिका-7 में जो राशि 3,000/-रुपये दर्शाई है वह वास्तव में 33000/-रुपये है तथा वाद पत्र की कण्डिका-5 में जो अन्य डीलरों का माल सप्लाई करना बताया है। उसमें केवल श्रीकृष्ण बीज भण्डार मुरैना को बीज सप्लाई किया गया और किसी की भी दुकान पर कोई बीज सप्लाई नहीं किया न ही प्रतिवादी कंपनी का कोई समव्यवहार अन्य दुकानों पर हुआ। तथा वादी द्वारा केवल 1642.5 कि०ग्रा० बाजरा एवं 882 कि०ग्रा० ज्वार वापिस की गई थी और कोई माल वापिस नहीं हुआ जिससे वादी पर प्रतिवादी कंपनी का 2,79,182/-रुपये शेष निकलता था जिसे वादी ने भुगतान नहीं किया जिसके कारण प्रतिवादी कंपनी को सिटी सिविल कोर्ट अहमदाबाद गुजरात में वसूली का दावा करना पड़ा जो प्र०क्र०-47/11 पर संचालित होकर दिनांक 09.08.12 को डिक्री हुआ है जिसका कोई भुगतान वादी ने नहीं किया है। विशेष अभिवचन करते हुए सिविल कोर्ट अहमदाबाद की डिक्री की निष्पादन कार्यवाही दिनांक 20.12.14 को न्यायालय के जावक क्रमांक-236/14 से सिविल जज गोहद को अंतरित हुई है जिससे बचने के लिये वादी ने झूठे आधारों पर दावा किया है। वास्तव में वादी को कोई वाद कारण उत्पन्न नहीं हुआ है। वादी तथा प्रतिवादी कंपनी के मध्य जो बायलॉज तय हुए थे, उसके मुताबिक इस न्यायालय को वाद सुनवाई का

क्षेत्राधिकार न होने से वाद अपोषणीय होने का अभिवचन करते हुए इस आशय की आपत्ति भी ली है कि वादी मॉ दुर्गा खाद्य भण्डार गोहद के नाम से फर्म चलाता है। मॉ दुर्गा बीज भण्डार के नाम से नहीं है और प्रतिवादी कंपनी द्वारा वादी को जो माल सप्लाई किया गया था उसकी बकाया राशि 2,79,182/-रुपये वादी ने भुगतान नहीं की थी जिसके कारण सिविल कोर्ट अहमदाबाद में दावा करना पड़ा। यह भी अभिवचन किया है कि वादी चालाक और बेईमान किस्म का व्यक्ति है तथा उसके द्वारा प्रतिवादी कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर श्री दिनेश राजौरिया के नाम से कूटरचित दस्तावेज तैयार कर लिये गये हैं जिसके संबंध में आपराधिक कार्यवाही की जाना भी आवश्यक है और वादी कोई वसूली करा पाने का अधिकारी नहीं है। इसलिये वाद सव्य निरस्त किया जावे।

6. प्रकरण में उभयपक्ष के अभिवचनों के आधार पर निम्नलिखित वाद प्रश्नों की रचना की गई, जिन पर लिए गए निष्कर्ष उनके सम्मुख अंकित हैं:-

क्रमांक	वाद प्रश्न	निष्कर्ष
1	क्या प्रतिवादी पर वादी के वाद पत्र की कण्डिका-2 लगायत 11 के बताये समव्यवहार के आधार पर कुल 2,13,499/-रुपये अवशेष निकलते हैं?	प्रमाणित
2	क्या वादी प्रतिवादी से प्रश्नगत समव्यवहार के तहत 2,13,499/-रुपये एवं उस पर वाद प्रस्तुति दिनांक से पूर्ण अदायगी तक 18 प्रतिशत वार्षिक ब्याज वसूलने का अधिकारी है?	आंशिक प्रमाणित मात्र नौ प्रतिशत वार्षिक साधारण ब्याज राशि की पात्रता है।
3	क्या उक्त वाद इस न्यायालय के स्थानीय क्षेत्राधिकारिता के बाहर होकर अपोषणीय है?	अप्रमाणित
4	क्या सिटी सिविल कोर्ट अहमदाबाद के प्र0क्र0-47 / 11 निर्णय व डिक्री दिनांक 09.08.12 की निष्पादन कार्यवाही के बचाव में उक्त वाद पेश किया गया है?	अप्रमाणित
5	सहायता एवं वाद व्यय?	निर्णय की कण्डिका-47 अनुसार प्रतिवादी वहन करेगा।

:: सकारण निष्कर्ष ::

वाद प्रश्न क्रमांक-3 का निराकरण

7. उक्त वाद प्रश्न प्रतिवादी की ओर से वादोत्तर में ली गई विशेष आपत्ति एवं अभिवचनों में वादी/प्रतिवादी के मध्य हुए अनुबंध के कारण कंपनी के बायलॉज के पैरा-एल के प्रावधान के आधार पर सुनवाई की क्षेत्रीय अधिकारिता अहमदाबाद गुजरात में स्थित न्यायालय को होने का अभिवचन करने के आधार पर निर्मित किया है। वादी की ओर से उक्त वाद का स्थानीय क्षेत्राधिकार गोहद न्यायालय को इस आधार पर होना बताया गया है कि समव्यवहार अहमदाबाद से गोहद हुआ है और गोहद में उपज का बीज सप्लाई होने का आदान प्रदान तथा वह खराब बीज गोहद से ही लौटाया गया था। इस आधार पर न्यायालय को सुनवाई का स्थानीय क्षेत्राधिकार होने का वादी की ओर से तर्क भी किया गया है। वादी के विद्वान अधिवक्ता ने इस संबंध में सि0प्र0सं0 1908 की धारा-20(सी) के प्रावधान पर भी बल दिया है जबकि प्रतिवादी के विद्वान अधिवक्ता का इस आशय का तर्क रहा है कि जो भी समव्यवहार हुआ है उसमें यह शर्त थी कि विवाद की स्थिति में क्षेत्राधिकार अहमदाबाद न्यायालय को होगा। तथा वादी/प्रत्यर्थी के मध्य जो प्र0डी0-2 का डिस्ट्रीब्यूटर ऐग्रीमेन्ट दिनांक 27 जनवरी-2008 को हुआ था उसमें भी स्पष्ट शर्त लिखी हुई है।

8. प्रादेशिक क्षेत्राधिकार (territorial jurisdiction) के बारे में जो वैधानिक स्थिति है उसे सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा-20 में स्पष्ट किया गया है जिसके अनुसार-

अन्य वाद वहाँ संस्थित किये जा सकेंगे जहाँ प्रतिवादी निवास करते हैं या वाद – हेतुक पैदा होता है— पूर्वोक्त परिसीमाओं के अधीन करते हुए, हर वाद ऐसे न्यायालय में संस्थित किया जायेगा जिसकी अधिकारिता की स्थानीय सीमाओं के भीतर—

(ए) प्रतिवादी, या जहाँ एक से अधिक प्रतिवादी हैं वहाँ प्रतिवादियों में से हर एक वाद के प्रारंभ के समय वास्तव में और स्वेच्छया से निवास करता है या कारोबार करता है या अभिलाभ के लिये स्वयं काम करता है, अथवा

(बी) जहाँ एक से अधिक प्रतिवादी हैं, वहाँ प्रतिवादियों में से कोई भी प्रतिवादी वाद के प्रारंभ के समय वास्तव में और स्वेच्छया से निवास करता है या कारोबार करता है या अभिलाभ के लिये स्वयं काम करता है, परन्तु यह तब जबकि ऐसी अवस्था में या तो न्यायालय की इजाजत दे दी गई है या जो प्रतिवादी पूर्वोक्त रूप में निवास नहीं करते या कारोबार नहीं करते या अभिलाभ के लिये स्वयं काम नहीं करते, वे ऐसे संस्थित किये जाने के लिये उपमत्त हो गये हैं, अथवा

(सी) वाद—हेतुक पूर्णतः या भागतः पैदा होता है।

स्पष्टीकरण — निगम के बारे में यह समझा जावगा कि वह भारत में के अपने एकमात्र या प्रधान कार्यालय में, या किसी ऐसे वाद—हेतुक की बाबत, जो ऐसे किसी स्थान में पैदा हुआ है जहाँ उसका अधीनस्थ कार्यालय भी है, ऐसे स्थान में कारोबार करता है।

9. विचाराधीन मामले में स्वीकृत तौर पर वादी जिस फर्म का प्रोप्राइटर है, वह गोहद जिला भिण्ड में स्थापित होकर अनाजों के बीजों के क्रय विक्रय का कारोबार करती है। तथा स्वीकृत तौर पर ही प्रतिवादी कंपनी अहमदाबाद गुजरात में स्थापित होकर अनाजों के बीजों का बड़े स्तर पर क्रय विक्रय का समव्यवहार करती है। इस बिन्दु पर भी विवाद नहीं है कि प्रतिवादी कंपनी ने वादी फर्म और दुर्गा खाद्य भण्डार से डिस्ट्रीब्यूटर ऐग्रीमेन्ट किया था और वादी को डिस्ट्रीब्यूटर नियुक्त किया था। प्र०डी०-2 की शर्तों की कण्डिका—एल जिसके आधार पर प्रतिवादी की आपत्ति है, उसमें इस शर्त का उल्लेख है कि अहमदाबाद सभी प्रकार के विवादों के स्थानीय क्षेत्र अधिकारिता रखता है। किन्तु वह कण्डिका आर्बिट्रेशन प्रोसीडिंग्स(arbitration proceedings) के संबंध में तय होना प्रकट होता है। वर्तमान वाद धन वसूली का है। धारा-20 सीपीसी के उपरोक्त उपबंधों मुताबिक जहाँ प्रतिवादी रहता है या कारोबार करता है या जहाँ पूर्णतः या भागतः वाद हेतु उत्पन्न होता है वहाँ वाद प्रस्तुत किया जा सकता है। विचाराधीन वाद के संबंध में जो स्थिति प्रकट हुई है उससे वादी/प्रतिवादी के मध्य अनाजों के बीजों के क्रय विक्रय का समव्यवहार हुआ है। वादी डिस्ट्रीब्यूटर के रूप में प्रतिवादी द्वारा नियुक्त किया गया है तथा वादी ने प्रतिवादी कंपनी से अनाजों के बीजों का माल प्राप्त करना, डी०डी० के माध्यम से प्रतिवादी कंपनी को भुगतान करना बताया गया है। जो समव्यवहार गोहद से ही संचालित हुआ है। ऐसी स्थिति में सिविल न्यायालय गोहद को धन वसूली के वाद के समव्यवहार बाबत उत्पन्न विवाद को श्रवण करने का प्रादेशिक क्षेत्राधिकार प्राप्त है और प्रतिवादी का यह आधार व तर्क स्वीकार नहीं किया जा सकता है कि केवल अहमदाबाद के स्थानीय सक्षम न्यायालय में ही उक्त वाद प्रचलनयोग्य है। इसलिये यह प्रमाणित नहीं होता है कि उक्त वाद इस न्यायालय की स्थानीय क्षेत्राधिकारिता से बाहर होकर अपोषणीय है। फलतः वाद प्रश्न क्रमांक-3 वादी के पक्ष में प्रतिवादी के विरुद्ध निर्णीत कर प्रमाणित ठहराया जाता है।

वाद प्रश्न क्रमांक-1 व 2 का निराकरण

10. इस संबंध में वादी प्रतिष्ठान के प्रोप्राइटर प्रभाकर भट्टेले ने वा०सा०-1 के रूप में अपने अभिसाक्ष्य में वाद पत्र के अभिवचनों की तरह ही मुख्य परीक्षण में स्वीकृत तथ्यों के अलावा यह कहा है कि उसने प्रतिवादी कंपनी में वर्ष 2009-2010 में 3240 कि०ग्रा० बाजरा 70/-रुपये प्रति कि०ग्रा० की दर से एवं 1665 ज्वार 50 कि०ग्रा० की दर से एडवांस बुकिंग की थी जिसके बाबत प्रतिवादी कंपनी को बतौर अग्रिम डी०डी०क्र०- 769097, 769098, 769099, 7690100, 7690101, 7690102 से दिनांक 21.01.09 को ढाई लाख रुपये तथा डी०डी०क्रमांक-027796 दिनांक 30.01.09 को

60,000/-रुपये कुल 3,10,000/-रुपये का भुगतान किया था। इसके अलावा प्रतिवादी कंपनी की ओर से नियुक्त व्यक्ति दिनेश दुबे को प्रतिवादी कंपनी के कहे अनुसार दिनांक 30.04.09 को एक हजार रुपये खर्चे के भुगतान किये थे तथा वीरेन्द्र त्यागी को 18 हजार रुपये का भुगतान उक्त दिनांक को किया था। माल सप्लाई के वाहन के चालक को 1544 रुपये जिसे पंजाब आंध्रा ट्रान्सपोर्ट से बाजरा सप्लाई हुआ था। उसे 26400/-रुपये, ज्वार सप्लाई करने वाले को 11880/-रुपये तथा कंपनी की ओर से दो कर्मचारी तीन तीन माह के लिये लगाये गये थे जिनके वेतन 25000/-रुपये का भी भुगतान प्रतिवादी कंपनी के कहे अनुसार किया था। इस प्रकार प्रतिवादी कंपनी पर उसकी ओर से कुल 404924/-रुपयों का भुगतान किया गया। तथा उसने प्रतिवादी कंपनी के कहे अनुसार प्रतिवादी कंपनी के अन्य विक्रेताओं (inter parties) को ज्वार बाजरा सप्लाई किया था जिसमें बाजरा एस-7722 किस्म 11565 कि०ग्रा०, बाजरा गजराज 1755 कि०ग्रा० और बाजरा महावीर 2430 कि०ग्रा० कुल 15750 कि०ग्रा० तथा ज्वार एस-201, 1980 कि०ग्रा० सप्लाई किया था जिसमें से श्रीकृष्ण बीज भण्डार मुरैना, मिश्रा बीज भण्डार मेहगांव, भदौरिया बीज भण्डार गोरमी, दिनेशचन्द्र जैन भिण्ड, हरिश्चंद्र जैन जिसे तउजा बीज भण्डार भी कहते हैं, उन्हें कुल बाजारा 10935 कि०ग्रा० सप्लाई किया गया था जिसका पैसा प्रतिवादी कंपनी को प्राप्त हुआ था।

11. वा०सा०-1 प्रभाकर भट्टेले का यह भी कहना है कि उससे प्रतिवादी ने दिनांक 17.09.09 को जो माल विक्रय न होने के कारण वापिस मंगाया था, उसमें बाजरा एस-7722, 1635 कि०ग्रा० बाजरा, महावीर 7,500 कि०ग्रा० एवं ज्वार एस-201, 883 कि०ग्रा० था। कुल प्राप्त ज्वार बाजरा में से अन्य विक्रेताओं को सप्लाई करने के पश्चात और प्रतिवादी कंपनी द्वारा वापिस मंगा लिये जाने के पश्चात उस पर 3172.5 कि०ग्रा० बाजरा एवं 1098 कि०ग्रा० ज्वार शेष रही थी। बाजरा 70/-प्रतिकि०ग्रा० की दर से 222075/-रुपये का एवं ज्वार 1098.5 कि०ग्रा० 50/-रुपये प्रतिकि०ग्रा० की दर से 54900 के अलावा उसने जो अन्य सामग्री प्राप्त की थी जिसमें 200 कि०ग्रा० सोनचरी 25/-रुपये प्रतिकि०ग्रा० की दर से 5000/-रुपये की सफेद मोती 200 कि०ग्रा० 26/-रुपये प्रतिकि०ग्रा० की दर से 5200/-रुपये की एवं 180 कि०ग्रा० मक्का 50/-रुपये प्रतिकि०ग्रा० की दर से 9000/-रुपये की ली थी। इस प्रकार से उसके द्वारा प्रतिवादी कंपनी से जो अनाजों की कुल उपज प्राप्त की उसकी राशि कुल 296175/-रुपये बनती है। उस पर प्रतिवादी कंपनी के 18000/-रुपये पुराने बकाया थे जिन्हें जोड़ने पर कुल राशि 314175/-रुपये बनती है जिसका उसे भुगतान करना था। किन्तु उसकी ओर से प्रतिवादी कंपनी को जावे कुल अग्रिम राशि भुगतान की गई वह 404824/-रुपये है। जिसमें से भुगतान योग्य 314175/-रुपये समायोजित करने पर 90649/-रुपये उसके प्रतिवादी कंपनी पर निकलते हैं।

12. वा०सा०-1 प्रभाकर भट्टेले का यह भी कहना है कि प्रतिवादी कंपनी द्वारा जो बाजरा गजराज 1755 कि०ग्रा० कुल 39 बैग में सप्लाई किया गया था उससे किसानों को कोई उपज नहीं हुई और उपज खराब हो गई। जिसके संबंध में उसने प्रतिवादी कंपनी को यथासमय सूचित किया था। प्रतिवादी कंपनी ने संपूर्ण गजराज बाजरा की कीमत किसानों को वापिस करने को कहा था। जिस पर से उसने किसानों को ब्याज सहित गजराज बाजरा की उपज का भुगतान कुल 122850/-रुपये किया था। इस तरह से अवशेष राशि 90649/- एवं खराब बीज की भुगतान की गई राशि 122850/-रुपये कुल राशि 213499/-रुपये प्रतिवादी कंपनी पर उसके अवशेष हैं जिनकी कई बार टैलीफोन के माध्यम से मौखिक मांग की परन्तु प्रतिवादी कंपनी ने भुगतान नहीं किया। फिर रजिस्टर्ड पोस्ट से नोटिस देने पर भी भुगतान नहीं किया गया जिस पर से उक्त कुल अवशेष राशि 213499/-रुपये व ब्याज दिलाये जाने हेतु दावा करना पड़ा। वा०सा०-1 प्रभाकर भट्टेले के द्वारा अपने अभिसाक्ष्य के समर्थन में प्र०पी०-1 लगायत 30 के दस्तावेज पेश किये गये हैं और प्रतिपरीक्षण में यह स्वीकार किया गया है कि दुकान के पंजीयन के पश्चात पंजीकरण क्रमांक और टिन नंबर मिलता है। उसके द्वारा प्रकरण में अपने प्रतिष्ठान का लायसेन्स पेश नहीं किया गया है न ही उसका क्रमांक बताया है। यह भी स्वीकार किया है कि प्र०पी०-3 लगायत 8 के वाउचरों पर खाता क्रमांक अंकित नहीं है जो एक ही दिनांक के हैं। तथा प्र०पी०-9 पर उसके हस्ताक्षर व बैंक की सील आदि न लगना

स्वीकार किया है। प्र०पी०-2 पर भी उसके हस्ताक्षर नहीं हैं। प्र०पी०-2 का दस्तावेज उसने प्रतिवादी कंपनी की ओर से दिवाकर शर्मा के द्वारा उसे दिया जाना बताया है। उसने यह भी स्वीकार किया है कि प्र०पी०-19, 20 और 21 के पत्र उसने दिवाकर शर्मा को दिये थे जिन पर दिवाकर शर्मा की प्राप्ति के कोई हस्ताक्षर नहीं हैं। प्र०पी०-22 का पत्र उसने दिनेश दुबे को दिनांक 28.07.09 को देना बताया है जिस पर भी प्राप्ति के हस्ताक्षर नहीं हैं।

13. वा०सा०-1 प्रभाकर भट्टेले का यह भी कहना है कि प्र०पी०-12, एवं 13 श्रीकृष्ण बीज भण्डार की रसीदें हैं जिस पर श्रीकृष्ण बीज भण्डार वालों के हस्ताक्षर भी हैं जिन्होंने माल प्राप्त किया था। प्र०पी०-14 पर भी श्रीकृष्ण बीज भण्डार वालों के हस्ताक्षर बताते हुए उसने यह कहा है कि कंपनी वाले भी गाड़ी से माल भेजते हैं और वे ही गाड़ी करके लाते थे। यह भी स्वीकार किया है कि प्र०पी०-15 एवं 16 सादा रसीदें हैं जिनके बारे में उसका यह कहना है कि मूल रसीदें फॉर्मेट में हैं। साक्षी ने यह भी बताया है कि ज्वार, बाजरा के अलग अलग रसीद कट्टे हैं। यह भी स्वीकार किया है कि प्र०पी०-13 लगायत 18 पर उसके हस्ताक्षर नहीं हैं। क्योंकि पैसा उसके पास नहीं आया है, कंपनी में जायेगा। इसलिये उक्त रसीदें कंपनी के कर्मचारी दुबे द्वारा काटी गई थीं।

14. खराब बीज के संबंध में उसका यह कहना रहा है कि बाजरा गजराज का जो बीज खराब हुआ था उसके संबंध में किसानों ने उसे लिखित में कोई शिकायती आवेदन नहीं दिये थे लेकिन मिलने आये थे और बताया था तब वह उनका खेत देखने भी गया था। बीज खराब होने और फसल न हो पाने के संबंध में उसने मौजा पटवारी ग्राम सेवक आदि से कोई प्रमाणीकरण नहीं लिया बल्कि उसका कहना है कि कंपनी को शिकायत की थी। जो शिकायतें रजिस्टर्ड डांक से व अन्य डांक के माध्यम से भेजी गई थीं और कंपनी वाले ले जाते थे। साक्षी का यह भी कहना है कि प्र०पी०-25 के रसीद कट्टे में जो रसीदें लगी हैं वह उसके हस्तलेख में हैं। प्र०पी०-25 एवं 26 की रसीदों के बारे में उसका यह कहना है कि उनके संबंध में उसने कृषि विभाग द्वारा प्रमाणीकरण लिया था और रसीदों पर जो नोट लगाया गया वह उसके मुनीम के हस्तलेख का है। लेकिन प्र०पी०-25 एवं 26 पर उसके मुनीम के हस्ताक्षर न होना वह स्वीकार करता है और यह भी कहा है कि उसने किसानों को रुपये वापिस करने की टीप लगाई थी। लेकिन उस पर दिनांक अंकित नहीं है। किस किसान ने, किस गांव के किस खेत में बीज बोया, इसका कोई पंचनामा नहीं बनाया गया बल्कि उसने किसानों के हस्ताक्षर कराकर कंपनी को पत्र लिखा था। रसीदों में काटपीट को उसने स्वीकार किया है। किन्तु इस बात से इन्कार किया है कि प्र०पी०-25 एवं 26 के दस्तावेजों में फर्जी रूप से तैयार कर उन पर फर्जी अंगूठे बनाये गये हैं। यह स्वीकार किया है कि प्र०पी०-25 एवं 26 के रसीद कट्टों में किसी भी किसान के हस्तलेख में पैसा मांगने की टीप नहीं लिखी गई है। यह भी स्वीकार किया है कि प्र०पी०-25 एवं 26 के कट्टे उसकी फर्म व दुकान के नाम से छपे नहीं हैं। लेकिन उसने कृषि विभाग से उन्हें प्रमाणित कराया है जो उसकी दुकान के ही हैं। हालांकि उन पर उसकी दुकान की कोई गोल मुद्रा अंकित नहीं है।

15. वा०सा०-1 प्रभाकर भट्टेले ने प्र०पी०-27 लगायत 30 अपने प्रतिष्ठान की वही बताते हुए उसमें बीज बेचने की लिखापट्टी होना बताते हुए यह कहा है कि प्र०पी०-25 एवं 26 के कट्टा वर्ष 2009 के ही हैं और उसका यह कहना भी रहा है कि किसानों द्वारा खेती की जिसकी प्रविष्टि कट्टों में की गई है, वही में नहीं की गई है। इसलिये संतोष शर्मा बरथरा वाले द्वारा खरीदे गये बीज की प्रविष्टि प्र०पी०-28 की वही में नहीं है। प्र०पी०-28 में दिनांक 29.06.09 में ओवरराइटिंग भी उसने स्वीकार की है जिसमें संतोष शर्मा बरथरा को बीज बेचा जाना बताया है जिसके संबंध में यह स्पष्टीकरण दिया गया है कि कट्टे में मुनीम द्वारा गलती से लिख गया था पैरा-27 में उसने ज्वार बाजरा की रसीदें एक ही कट्टे में कटना बताई हैं फिर पैरा-28 में अलग-अलग कट्टों में उसने बताई हैं। यह भी कहा है कि किसानों को जो पैसा वापिस किया गया, उसकी प्रविष्टि कट्टे एवं खाते में की गई थी लेकिन प्र०पी०-30 में पृष्ठ क्रमांक-20 पर पैसा वापिस करने की तारीख का उल्लेख न होना वह स्वीकार करता है। यह भी स्वीकार करता है कि प्र०पी०-27 एवं 28 में किसानों को पैसा वापिस करने का इन्द्राज वही में नहीं किया गया है।

16. वा0सा0-1 प्रभाकर भट्टेले के द्वारा यह पूछे जाने पर कि उस पर प्रतिवादी कंपनी का 279182/-रुपये शेष निकलता है, इसके उत्तर में वह यह कहता है कि वह देखकर बतायेगा। फिर उसने यह भी कहा है कि उसके उपर कोई पैसा नहीं निकलता है बल्कि प्रतिवादी पर ही उसके 213499/-रुपये निकलता है। उसने इस बात से भी इन्कार किया है कि प्र0पी0-1 का दस्तावेज उसने फजी तैयार किया है और उस पर दिनेश राजौरिया के मूल हस्ताक्षर नहीं हैं। इस बात से भी इन्कार किया है कि उस पर प्रतिवादी कंपनी का पैसा निकल रहा था इसी कारण उसने अपना मोबाईल बंद कर लिया था। प्र0पी0-3 का जो नोटिस दिया गया है, वह मात्र उपज भण्डार के नाम से दिया गया है। खाद्य भण्डार के नाम से नहीं दिया गया है। और उसके साथ ए0डी0 नहीं लगाई गई। उसने यह भी स्वीकार किया है कि दिनेश शर्मा, त्यागी व द्वारिका शर्मा के विरुद्ध उसने कोई कार्यवाही नहीं की है। तथा यह स्पष्टीकरण दिया है कि वे कंपनी के कर्मचारी हैं और उसने कंपनी के विरुद्ध कार्यवाही की है। ज्वार बाजरा की मात्रा और राशि वह खाता देखकर ही बता सकता है। इस बातसे भी उसने इन्कार किया है कि प्र0पी0-1 लगायत 3 के दस्तावेज उसने गलत रूप से तैयार करके झूठा दावा प्रतिवादी कंपनी की देनदारी से बचने के लिये किया है। इस बात से भी इन्कार किया है कि कोई बीज फ़ैल नहीं हुआ।

17. दस्तावेजों की प्रविष्टियों और उनकी तैयारी के संबंध में वादी की ओर से नंदकिशोर बंसल वा0सा0-4 के रूप में परीक्षित कराया गया है जिसे वादी ने अपना मुनीम बताया है। वा0सा0-4 ने अपने अभिसाक्ष्य में यह बताया है कि वह एकाउण्ट का काम करता है। वादी के यहाँ उसने 2008-09 एवं 2009-10 में मुनीम का काम किया था और आ व्यय का लेखा-जोखा उसके द्वारा तैयार किया गया था। उक्त अवधि में वादी के द्वारा जो माल बाहर से मंगाया गया तथा जो माल वादी ने सप्लाई किया, जिन किसानों को माल बेचा, जो माल खराब वापिस किया, जिन किसानों का माल खराब होने से रुपये वापिस किये, उनका संपूर्ण लेखा जोखा उसके द्वारा खातों में किया गया है तथा बैंक से भी जो रुपया निकाला गया और बैंक में जो रुपये अन्य पार्टियों को भेजा गया, सभी का समव्यवहार उसके द्वारा खातों में अपने हस्तलेख में किया था जिसके संबंध में प्रतिपरीक्षण के दौरान वा0सा0-4 ने यह कहा है कि एक अप्रैल-2008 से 31.03.10 तक उसने वादी के यहाँ स्थाई रूप से एकाउण्ट का काम किया और मार्च 2011 तक वह उक्त कार्य करना बताता है। तथा माँ दुर्गा ट्रेडर्स वादी की फर्म का नाम था। टिन नंबर नहीं बता सकता है। वह हायरसेकेंड्री तक पास है। उसके पास एकाउण्ट संबंधी कोई डिप्लोमा या डिग्री नहीं है। वादी के अलावा अन्य स्थानों पर भी वह काम करता था। इन्कम टैक्स आदि का रिटर्न भी वह भरता था। उक्त साक्षी ने यह स्वीकार किया है कि फर्म के लैटरपेड एवं बिल बुक पर फर्म का टिन नंबर और पंजीयन क्रमांक अंकित रहता है। बिना रिकॉर्ड देखे वह यह नहीं बता सकता है कि वर्ष 2008 से 2010 की अवधि में वादी ने कब कब कंपनी से माल मंगाया और उसका यह भी कहना है कि वादी ने प्रतिवादी कंपनी के अलावा अन्य किन किन कंपनियों से ऐग्रीमेन्ट किया था। वह यह नहीं बता सकता है कि वादी की फर्म खाद बीज के अलावा कीटनाशक, दवाईयों एवं उर्वरक का भी क्रय विक्रय का काम करती है। लेकिन वादी के पास कीटनाशक दवाओं को बेचने का लायसेन्स था या नहीं था, यह उसे मालूम नहीं है और वह बिना दस्तावेज देखे यह नहीं बतासकता है कि किन किन लोगों को रुपये वापिस किये गये।

18. वा0सा0-1 प्रभाकर भट्टेले ने अपने अभिसाक्ष्य में अजय शर्मा भगवासा वालों की दुकान के बारे में यह कहा है कि पहले खाद बीज की दुकान थी जो अब खेती करने लगा है जिसके संबंध में वा0सा0-4 का यह कहना है कि अजय शर्मा की गोहद में ही खाद बीज की दुकान है। किन्तु उसने अपने हस्ताक्षर से कोई भी समव्यवहार वादी की दुकान का करने से इन्कार करते हुए केवल बहीखाते बनाना बताया है। जबकि वादी वा0सा0-1 रसीद कट्टों में बीज का समव्यवहार हुआ था किन्तु उसकी लिखापट्टी भी मुनीम द्वारा करना बताता है जिससे वा0सा0-4 के द्वारा अपने अभिसाक्ष्य में इन्कार किया गया है। प्रभाकर भट्टेले से उक्त साक्षी ने सेठ और मुनीम के संबंध बताये हैं तथा इस बात से इन्कार किया है कि उसने प्रतिवादी कंपनी के रुपये हड़पने के लिये वादी से मिलकर फर्जी वहीखाते और बिल तैयार कराये।

19. बीज खरीदने और रुपये वापिसी के लेनदेन पर वादी की ओर से राजकुमार उपाध्याय वा0सा0-2 एवं प्रकाश जाटव वा0सा0-3 के कथन कराये गये हैं। जिन्होंने वर्ष 2009-10 में अपने खेतों में बाजरा की फसल बोने के लिये वादी के प्रतिष्ठान से गजराज बाजरा के बीज खरीदकर बोना और उसमें कोई जर्मिनेशन न होने से फसल न होना बताते हुए गजराज बाजरा के बीज खराब हो जाने से उसकी राशि वादी से प्राप्त करना बताया है जिसके संबंध में वा0सा0-2 का पैरा-4 में यह कहना रहा है कि उसने वादी से किस दिनांक का बीज खरीदा था वह नहीं बता सकता है। लेकिन वह अगस्त 2010 में बीज खरीदना बताता है और पैरा-5 में उसने खेतों के कुछ सर्वे क्रमांक बताते हुए यह कहा है कि उस समय कृषि भूमि उसके पिता के नाम से थी तथा उसने तीस बीघा भूमि में बाजरा की फसल बोई थी। और उक्त तीस बीघा भूमि में फसल मजदूरों से कटवाना भी कहता है। फिर उसने यह भी बताया है कि बाजरा जमा नहीं था। बीज न जमने की उसने कोई जांच नहीं कराई थी। मुन्नीसिंह तोमर एग्रीकल्चर अधिकारी के यहाँ वह गया था। लेकिन लिखित में उसने कोई शिकायत कृषि विभाग को नहीं की। वा0सा0-1 ने भी अपने अभिसाक्ष्य के पैरा-26 में मौखिक रूप से कृषि अधिकारी तोमर साहब को शिकायत करना बताया है। प्रकरण में वादी की ओर से कोई कृषि विकास अधिकारी को साक्ष्य में प्रस्तुत नहीं कराया गया है। वा0सा0-2 के द्वारा अपने अभिसाक्ष्य में पैरा-16 में 10200/-रुपये में कुल 60 पैकेट जिनका वजन 90 कि०ग्रा० था वह 170/-रुपये प्रति पैकेट के हिसाब से बीज खरीदना तथा बीज की राशि रसीद कट्टा क्रमांक-41 के माध्यम से वापस प्राप्त करना उसने बताया है। इस बातसे भी इन्कार किया है कि वह वादी का रिश्तेदार होकर असत्य कथन कर रहा है।

20. बीज खरीदने और खराब होने से रुपये वापिसी के बिन्दु पर प्रकाश जाटव वा0सा0-3 के द्वारा यह बताया गया है कि उसकी ग्राम बरथरा में 15 बीघा भूमि है जो उसके नाम से ही है। तीन खेत हैं। उसने आषाढ के महीने में वर्ष 2009 में बीज खरीदा था। उसके पहले भी उसने बाजरा बोना बताया है। वर्ष 2008 एवं 2010 में बाजरा का बीज वह कुशवाह शक्ति बीज भण्डार से खरीदना बताता है। वर्ष 2009 से वादी से खरीदना बताता है। यह भी कहा है कि उसने जो बीज खरीदा था वह खराब हो गया था। बीज खरीदने की उसे रसीद मिली थी जो पैसा वापस करते समय उससे वापिस ले ली गई थी। उसी पर से प्रभाकर भट्टेले को पैसा वापिसी की प्राप्ति ली थी। बीज खराबी के संबंध में उसने भी लिखित कोई शिकायत कहीं नहीं की। मौखिक रूप से ही पटवारी व ग्रामसेवक को बताया था। उक्त साक्षी के मुताबिक एक बीघा में करीब एक या डेढ़ थैली बाजरा का बीज बोया था। इस साक्षी का भी यह कहना है कि बाजरा खरीदते समय जो रसीद उसे दी गई थी, पैसा वापिस करते समय प्रभाकर भट्टेले ने ले ली थी। वादी प्रभाकर भट्टेले के संबंध में उसका कहना है कि वह तीन भाई हैं और उनकी जमीनें भी बरथरा में हो सकती हैं उसने जो बीज खरीदा था वह 180 रुपये प्रतिकि०ग्रा० के हिसाब से 25 पैकेट 4500/-रुपये में खरीदा था।

21. इस संबंध में प्रतिवादी की ओर से जो साक्षी पेश किये गये हैं, उसमें प्रतिवादी कंपनी के सेल्समेन बृजमोहन शर्मा को प्र०सा०-2 के रूप में पेश किया गया है जिसने अपने अभिसाक्ष्य में यह बताया है कि वह पांच भाई हैं। राजेश शर्मा उनके परिवार का नहीं है। मेहगांव में मिश्रा बीज भण्डार उसके भाई राजीव का था जिसे चार पांच साल बंद हुए हो गये हैं। वर्ष 2011 से वह प्रतिवादी कंपनी में सैल्स ऑफीसर है। वादी पर प्रतिवादी कंपनी के 279182/-रुपये बकाया निकलते हैं जिससे बचने के लिये वादी ने फर्जी कूटरचित दस्तावेज तैयार करके उसके आधार पर क्षेत्राधिकारविहीन दावा किया है। वर्ष 2011 के पूर्व वह प्रतिवादी कंपनी में नहीं रहा इसलिये यह नहीं बता सकता है कि उससे पहले कंपनी द्वारा किन किन क्रेताओं को माल दिया गया। कहाँ कहाँ ऑर्डर दिये गये। यह भी स्वीकार किया है कि वादी का उसके सामने प्रतिवादी कंपनी से कोई समव्यवहार नहीं हुआ। उसके पूर्व का उसे पता नहीं है। उसने कंपनी के एकाउण्ट देखे हैं। उसके आधार पर वादी पर 279182/-रुपये अवशेष बता रहा है। वादी को क्या माल सप्लाई हुआ, क्या रेट रहे जो माल सप्लाई हुआ क्या वह अंकुरित हुआ या नहीं। इसकी उसे कोई जानकारी नहीं है। यह स्वीकार किया है कि वादी की ओरसे प्रतिवादी कंपनी को एक लेटर भेजा था जिसके हस्ताक्षर देखने पर फर्जी

व कूटरचित लग रहे थे और उसके आधार पर ही फर्जी व कूटरचित दस्तावेज के आधार पर दावा किया जाना बताया है। फर्जी व कूटरचित दस्तावेज के संबंध में उसने कोई कार्यवाही नहीं की। कंपनी द्वारा की गई या नहीं, यह उसे जानकारी नहीं है। जो दस्तावेज उसने फर्जी देखा था वह करीब दो वर्ष पहले प्रतिवादी अधिवक्ता के कार्यालय में देखना वह बताता है और उसने यह स्वीकार किया है कि प्रतिवादी कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर दिनेश राजौरिया हैं जो वर्तमान में पूरा काम देखते हैं और पूर्णतः स्वस्थ हैं। यह बात प्रतिवादी कंपनी के असिस्टेंट सेल्स मैनेजर आदित्य भारती प्र०सा०-1 ने भी अपने अभिसाक्ष्य में स्वीकार करते हुए उसने अपनी पद स्थापना वर्ष 2011 में बताई है और यह कहा है कि उसे प्रकरण में कंपनी की ओर से पक्ष समर्थन के लिये नियुक्त व अधिकृत किया गया है।

22. प्र०सा०-1 का यह भी कहना है कि वादी प्रतिवादी के मध्य जो एग्रीमेन्ट हुआ था उसके मुताबिक दिनांक 19.06.09 को वादी की फर्म को प्रतिवादी कंपनी द्वारा माल भेजा गया था जो माल वादी ने बेचा था। शेष माल दिनांक 19.09.09 को प्रतिवादी कंपनी को वापिस कर दिया था। कंपनी के द्वारा भेजे गये माल की राशि 279182/-रुपये वादी पर निकलती है जिसकी मांग कंपनी द्वारा की गई थी। भुगतान न करने पर कार्यवाही की गई थी। साक्षी का यह भी कहना है कि वादी फर्म के द्वारा प्राप्त माल में से 1642.5 कि०ग्रा० बाजरा व 882 कि०ग्रा० ज्वार वापिस करने के बाद शेष माल की राशि हड़पने की नीयत से कंपनी द्वारा मांग व रिमाण्डर भेजनेके बाद भी भुगतान नहीं किया गया और असत्य व कूटरचित दस्तावेज तैयार करके झूठे तथ्यों के आधार पर दावा कर दिया। कंपनी द्वारा भेजा गया बीज किसी भी प्रकार से खराब नहीं निकला न ही वादी ने किसी सब डीलर को कंपनी के कहने पर कोई माल सप्लाई किया। श्रीकृष्ण बीज भण्डार मुरैना के अलावा अन्य किसी भी फर्म का कोई माल सप्लाई नहीं हुआ। और दिनांक 18.09.09 के बाद कोई सम व्यवहार नहीं हुआ। बीच खराब होने के संबंध में कंपनी को कोई सूचना भी नहीं दी गई न ही कंपनी ने किसानों को पैसा वापिस करने के लिये कोई पत्र दिया बल्कि दस्तावेज फर्जी व कूटरचित तैयार कर दबाव बनाने के लिये और राशि हड़पने के लिये वादी ने तैयार किये हैं। उक्त साक्षी के द्वारा प्र०डी०-1 लगायत 15 के दस्तावेज पेश करते हुए यह बताया है कि उसके पहले प्रतिवादी कंपनी में वीरेन्द्र त्यागी थे। इसके अलावा और कौन कौन कर्मचारी थे, वह यह नहीं बता सकता है। उसे प्रकरण में कार्यवाही करने के लिये कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर के द्वारा दिनांक 04.10.14 को अधिकृत किया गया है। इस बात से इन्कार किया है कि उसे गवाही देने के लिये अधिकृत नहीं किया गया और उसे गवाही देने का कोई अधिकार प्रतिवादी की ओर से नहीं है।

23. प्र०सा०-1 ने इस आशय का भी अभिसाक्ष्य दिया है कि कंपनी के एकाउण्ट स्टेटमेन्ट प्र०डी०-4 के आधार पर वीरेन्द्र त्यागी उसके पहले कंपनी में थे, प्रमाणित नहीं हैं। वीरेन्द्र त्यागी द्वारा वादी को माल सप्लाई किया गया था उस समय वह कंपनी में नहीं था। दिनेश दुबे प्र०डी०-4 के आधार पर प्रतिवादी कंपनी का कर्मचारी होना व उसे वादी द्वारा एक हजार रुपये दिये जाने का उल्लेख नहीं है। फिर उसने दिनेश दुबे को कंपनी का अस्थाई कर्मचारी बताया है। और यह कहा है कि श्रीकृष्ण बीज भण्डार को प्र०डी०-4 मुताबिक दिनांक 17.09.09 को प्रतिवादी कंपनी के निर्देश से माल भेजा गया। दिनेश दुबे द्वारा माल भेजा गया या नहीं भेजा गया यह वह नहीं बतासकता है। इस बात से इन्कार किया है कि उसके अलावा मिश्रा बीजा भण्डार को प्र०पी०-15, भदौरिया बीज भण्डार गोरमी को प्र०पी०-16, हरिश्चन्द्र जैन भिण्ड को प्र०पी०-17 एवं प्र०पी०-18 के माध्यम से कंपनी के कर्मचारी दिनेश दुबे द्वारा माल सप्लाई कंपनी के निर्देशानुसार किया गया था। इस बात से भी इन्कार किया है कि वादी को प्रतिवादी कंपनी ने विभिन्न प्रतिष्ठानों का माल सप्लाई करने हेतु निर्देशित किया था। अर्थात् वह केवल श्रीकृष्ण बीज भण्डार मुरैना को ही माल सप्लाई करने की बात स्वीकार करता है। लेकिन श्रीकृष्ण बीज भण्डार को माल सप्लाई करने के लिये कंपनी द्वारा कोई पत्र जारी किया गया था या नहीं, यह उसे जानकारी नहीं है।

24. प्र०सा०-1 का यह भी कहना है कि वादी प्रतिवादी के मध्य जो समव्यवहार हुआ उसका रिकॉर्ड कंपनी में है। यह स्वीकार किया है कि ऐसा कोई दस्तावेज पेश नहीं किया गया है जिसमें

वादी को तथा श्रीकृष्ण बीज भण्डार मुरैना को माल सप्लाई करने हेतु कंपनी द्वारा निर्देशित किया गया हो। यह बात वह प्र०डी०-4 के स्टेटमेंट के आधार पर बताना कहता है। इस बात से इन्कार किया है कि दिनेश दुबे द्वारा अन्य प्रतिष्ठानों को जो माल कंपनी के निर्देश पर वापिस भेजा गया, उसका प्र०डी०-4 में जान-बूझकर उल्लेख नहीं किया है बल्कि उसका यह कहना रहा है कि दिनेश दुबे को माल सप्लाई करने का अधिकार ही नहीं था। उसका यह भी कहना है कि इण्टरपार्टियों को जो माल सप्लाई किया जाता है उसका आदेश सिर्फ परमानेंट स्टाफ या मैनेजर को प्र०पी०-1 के दस्तावेज को कूटरचित व फर्जी होने की जानकारी वह वर्ष 2014 में मिल जाना कहता है। लेकिन फर्जी होने के संबंध में कोई कार्यवाही की गई या नहीं की गई, इसकी उसे जानकारी नहीं है और उसने कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर दिनेश राजौरिया को दस्तावेज फर्जी होने के संबंध में कार्यवाही हेतु चर्चा नहीं की थी। क्योंकि दिनेश राजौरिया स्वयं समझदार है और उसे कहने की आवश्यकता नहीं थी। इस बात से उसने इन्कार किया है कि प्र०पी०-1 का दस्तावेज वादी के पत्र दिनांक 26.07.09 और 28.07.09 के आधार पर प्रतिवादी की ओरसे दिनांक 19.08.09 को जारी किया गया था। इस बात से इन्कार किया है कि खराब बीज की जो राशि किसानों को वापिस की गई वह कंपनी को न देना पड़े इसलिये वह प्र०पी०-1 का फर्जी दस्तावेज बता रहा है।

25. प्र०सा०-1 का यह भी कहना है कि वादी ने प्रतिवादी कंपनी को तीन लाख दस हजार रुपये का भुगतान डी०डी० के माध्यम से किया था। पैरा-19 में यह भी स्वीकार किया है कि दिनांक 31.01.09 को प्र०डी०-2 का दस्तावेज प्रतिवादी कंपनी द्वारा जारी किया गया था जिसमें ज्वार, बाजरा का प्रतिकि०ग्रा० का भाव तय था उसी आधार पर वादी द्वारा प्रतिवादी कंपनी को डी०डी० के माध्यम से एडवांस राशि भेजी गई थी। इस बात से इन्कार किया है कि किसानों को भुगतान की गई राशि न देना पड़े इसलिये वह असत्य कथन कर रहा है। उसने भी इस बात से इन्कार किया है कि वादी के प्रतिवादी कंपनी पर कुल 404824/-रुपये पहुंच चुके हैं और अवशेष राशि व किसानों को वापिस किये गये रुपये मिलाकर कुल 213499/-रुपये वादी के प्रतिवादी पर बताये गये हैं।

26. इस संबंध में वादी के विद्वान अधिवक्ता के द्वारा प्रस्तुत की गई साक्ष्य और दस्तावेजों के संदर्भ में मूलतः इस आशय का तर्क प्रस्तुत किया गया है कि वादी प्रतिवादी का नियुक्त डिस्ट्रीब्यूटर है। उसने प्रतिवादी कंपनी पर अग्रिम धनराशि 310000/-रुपये के डी०डी० के माध्यम से जमा की थी एवं प्रतिवादी के निर्देश पर जो अन्य खर्चे किये जिसका दस्तावेजी प्रमाण या मौखिक साक्ष्य दी गई है उसे समायोजित करते हुए कुल 404824/-रुपये भुगतान किये गये हैं। जो माल प्रतिवादी कंपनी से प्राप्त हुआ था उसमें से जो माल खराब निकला उसकी राशि कंपनी के निर्देश पर किसानों को वापिस की गई। प्राप्त माल और भुगतान राशि का समायोजन करने पर 90649/-रुपये बकाया निकलते थे जो बीज खराब निकला उसकी राशि 122850/-रुपये किसानों को भुगतान की गई। कुल राशि 213499/-रुपये बकाया है। स्वयं प्रतिवादी कंपनी वादी के पत्राचार करने पर किसानों को खराब बीज की कीमत वापिस करने का निर्देश दिया गया था जिसका प्रमाण प्र०पी०-1 है। ज्वार बाजरा के बीज की जो दर तय हुई थी उसका प्रमाण प्र०पी०-2 है। प्र०पी०-3 लगायत 9 द्वारा जमा राशि का प्रमाण है। जो माल प्राप्त किया गया उसकी इन्वॉईस प्र०पी०-10 एवं 11 हैं। प्र०पी०-12 लगायत 18 वापिस किये गये पैसों का विवरण है। इसलिये जो दस्तावेज पेश किये गये हैं उसके अनुरूप वादी की स्पष्ट और सुदृढ़ साक्ष्य पेश की गई है जिससे वादी का वाद पूर्णतः प्रमाणित है और कोई भी दस्तावेज कूटरचित नहीं है तथा कूटरचित दस्तावेज के संबंध में प्रतिवादी द्वारा कहीं कोई कार्यवाही भी नहीं की गई है। कूटरचना का आधार केवल खण्डनस्वरूप लिया गया है। स्वयं वादी की मौखिक और दस्तावेजी साक्ष्य का कोई खण्डन नहीं किया गया है जो साक्षी पेश किये गये हैं वह विधिअनुसार ग्रहण किये जाने योग्य नहीं हैं क्योंकि पॉवर ऑफ एटॉर्नी के माध्यम से साक्ष्य हेतु अधिकृत नहीं किया जा सकता है। न ही प्र०सा०-1 आदित्य भारती को साक्ष्य देने हेतु अधिकृत किया गया और प्रतिवादी कंपनी का मैनेजिंग डायरेक्टर दिनेश राजौरिया पूर्णतः स्वस्थ है तथा कंपनी का संचालन कर रहा है किन्तु वह साक्ष्य हेतु न्यायालय में नहीं आया है। इसलिये प्र०सा०-1 व 2 का साक्ष्य ग्रहण नहीं किया जा सकता है और वादी की अखण्डनीय साक्ष्य से वादी के अभिवचनों के माध्यम से बताया गया

समव्यवहार पूर्णतः प्रमाणित है। इससे वाद प्रश्न क्रमांक-1 प्रमाणित हो जाता है। चूंकि वादी प्रतिवादी के व्यापारिक संबंध हैं इसलिये वादी प्रतिवादी से वांछित राशि 213499/-रुपये पर वाद प्रस्तुति दिनांक से 18 प्रतिशत वार्षिक ब्याज भी पाने का पात्र है। कोई भी दस्तावेज कूटरचित नहीं है और कूटरचित होने के संबंध में प्रतिवादी द्वारा न तो हस्तलेख विशेषज्ञ से जांच कराई गई न ही कोई पुलिस रिपोर्ट की गई है इसलिये वाद डिकी किया जावे।

27. इस संबंध में प्रतिवादी के विद्वान अधिवक्ता का मूलतः यह तर्क रहा है कि सिविल वाद में प्रमाण भार वादी पर ही होता है और वह प्रतिवादी की किसी कमजोरी का लाभ नहीं ले सकता है और वादी को अपने बल पर ही दावा सिद्ध करना होगा। किन्तु वादी के अभिवचन और दस्तावेज विरोधाभासी हैं। वादी द्वारा जिस मांग सूचना पत्र पर से वसूली वाद पेश किया गया है उसमें ज्वार बाजरा के बीज के रेट अधिक लगाये जाने के आधार पर 90649/-रुपये की राशि का उल्लेख किया गया है। तथा 39 बैग गजराज बाजरा के खराब बताये गये हैं जिनसे उपज नहीं हुई। उसी की राशि 122850/-रुपये बताई गई जबकि अभिवचनों में गजराज बाजरा खराब बताया गया है और बाजरा के संबंध में ही साक्ष्य दी गई है। तथा 90649/-रुपये की राशि दर के आधार पर न बताते हुए प्रतिवादी के कर्मचारियों को भुगतान की गई राशि, ट्रान्सपोर्ट को अदा की गई राशि को जोड़ते हुए बताया गया है जिससे साक्ष्य और अभिवचन विरोधाभासी हैं। इससे ही वादी का वाद खाजिर किये जाने योग्य है। तथा प्र०पी०-1 का दस्तावेज कूट रचित है। क्योंकि उस पर मूल हस्ताक्षर नहीं हैं। बल्कि कूटरचना करके तैयार कर लिये गये हैं क्योंकि प्रतिवादी कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर अपने हस्ताक्षर कंपनी की गोल मुद्रा के अंदर करते हैं। प्र०पी०-19 से 22 तक के पत्र डांक से भेजने का कोई प्रमाण नहीं है। क्योंकि उनकी कोई डांक रसीद नहीं है। न ही उन पर कोई पावती है। और वे कंपनी को प्राप्त नहीं हुई तथा प्राप्ति के किसी के हस्ताक्षर न होने से भी वह दस्तावेज बनावटी हैं। बाजरा जर्मिनेशन न होने का जो आधार लिया गया है उसके प्रमाण में कोई विशेषज्ञ रिपोर्ट नहीं है। कृषि विकास अधिकारी ग्राम कोटवार पटवारी इस संबंध में सक्षम साक्षी हो सकत थे और उनसे जांच कराई जा सकती थी। जबकि ऐसा नहीं किया गया और प्रतिवादी कंपनी की ओर से कोई भी आदेश बाजरा के बीज को खरीदने वाले किसानों को रुपये वापिस करने के संबंध में नहीं किया गया है। वादी प्रतिवादी के मध्य जो अनुबंध है वह माँ दुर्गा बीज भण्डार गोहद के नाम से किसी फर्म का नहीं है बल्कि माँ दुर्गा खाद्य भण्डार नामक फर्म से अनुबंध हुआ था।

28. यह तर्क भी किया गया है कि वादी ने ऐसा कोई प्रमाण भी नहीं दिया है कि श्रीकृष्ण बीज भण्डार मुरैना के अलावा जिन अन्य इन्टरपार्टियों को माल सप्लाय वादी प्रतिवादी के निर्देश पर करना बताता है उसकी राशि प्रतिवादी कंपनी को प्राप्त हुई हो। जो दस्तावेज वादी ने पेश किये हैं उसमें जो ज्वार बाजरा के बीज अन्य विक्रेताओं को बेचा है उसमें दर अनिश्चित है और प्र०पी०-19 से 21 के दस्तावेज दिवाकर शर्मा को देना बताया गया है जिनकी पावती के कोई हस्ताक्षर नहीं हैं। प्र०पी०-22 पर दिनेश दुबे के कोई हस्ताक्षर नहीं हैं जिसे उक्त दस्तावेज दिया जाना बताया गया है। बल्कि प्रतिवादी कंपनी के वादी पर 279182/-रुपये बकाया निकलते थे जो वादी ने अदा नहीं किये और दूरभाष पर बताने पर मोबाईल बंद कर लिया जिसके संबंध में अहमदाबाद सिटी सिविल कोर्ट में दावा किया गया था जो डिकी हो चुका था और उसकी वसूली की इजरा सिविल जज वर्ग-2 गोहद के न्यायालय में संचालित है। उसके बचाव में ही वादी ने दस्तावेजों की कूटरचना करके झूठा दावा किया है जो कतई स्वीकार योग्य नहीं है। इसलिये वादी वाद प्रश्न क्रमांक-1 को प्रमाणित करने में असफल रहा है और वाद प्रश्न क्रमांक-2 उसी तरह का ही पारिणामिक बिन्दु है इसलिये दोनों वाद प्रश्न वादी के विरुद्ध अप्रमाणित निर्णीत किये जावें।

29. विधि का यह सुस्थापित सिद्धान्त है कि वादी को अपनावाद स्वयं की सामर्थ्य से प्रमाणित करना होता है और वह प्रतिवादी की किसी कमजोरी का लाभ नहीं ले सकता है। जैसा कि न्याय दृष्टांत **दूल्हे सिंह विरुद्ध जुझारसिंह 1995 भाग-2 एम०पी०डब्ल्यू०एन० एस०एन० 170** में सिद्धान्त प्रतिपादित किया गया है। सिविल विधि में यह भी सुस्थापित सिद्धान्त है कि प्रत्येक सिविल मामले का निराकरण प्रबल संभावनाओं के संतुलन के आधार पर किया जाता है जैसा कि न्याय दृष्टांत

गुलाबचन्द्र विरूद्ध पुद्दीलाल 1989 जे०एल०जे० पेज-78 में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा सिद्धान्त प्रतिपादित किया गया है। विचाराधीन मामले में दोनों पक्षों की ओर से मौखिक और दस्तावेजी दोनों प्रकार की साक्ष्य पेश की गई हैं। इसलिये दोनों पक्षों की संपूर्ण साक्ष्य के आधार पर विचाराधीन वाद प्रश्न के संबंध में निष्कर्ष निकालने होंगे। न्याय दृष्टांत **हैमराज विरूद्ध बालभद्र 1991 भाग-1 एम०पी०डब्ल्यू०एन० एस०एन०-186** में सिद्धान्त प्रतिपादित किया गया है कि जहाँ दस्तावेजी और मौखिक दोनों प्रकार की साक्ष्य पेश की जाती हैं और यदि दस्तावेजी साक्ष्य प्रबल हो तथा मौखिक साक्ष्य से उसका खण्डन न हो तो दस्तावेजी साक्ष्य का अवलंब लिया जाना चाहिए। विचाराधीन मामले में यह तथ्य निर्विवादित है कि वादी प्रतिवादी के समव्यापारिक संबंध हैं जिसका प्रमाण प्र०डी०-2 व 4 के दस्तावेजों से स्पष्ट हैं इसलिये वादी के फर्म में दुर्गा बीज भण्डार अंकित होने और अनुबंध में दुर्गा खाद्य भण्डार के नाम का होने से कोई अन्यथा स्थिति निर्मित नहीं होती है क्योंकि प्रतिवादी पक्ष की ओर से वादी को प्रतिवादी कंपनी का डिस्ट्रीब्यूटर होना स्वीकार किया गया है। जैसा कि प्र०डी०-2 में भी अंकित है इसलिये इस बिन्दु पर किया गया तर्क कोई विधिक बल नहीं रखता है कि फर्म का नाम वादी की ओर से गलत लिखा गया है। और दुर्गा बीज भण्डार से कोई समव्यवहार नहीं हुआ क्योंकि वादी फर्म के प्रोप्राइटर प्रभाकर भट्टेले के होने और उससे भी व्यापारिक संबंध होने व अनुबंध होने को स्वीकार किया गया है और यह सुस्थापित विधि है कि स्वीकृत तथ्य को प्रमाणित करने की आवश्यकता अन्य साक्ष्य से नहीं होती है।

30. वादी का मूल वाद प्र०पी०-1 व 2 पर आधारित है और दो प्रकार के बिन्दु उठाये गये हैं जिसमें एक बिन्दु ज्वार बाजरा के बीज की दर को लेकर और दूसरा बिन्दु बीज खराब होने पर इन्टरपार्टियों या अन्य विक्रेताओं को भेजे गये माल को वापिस लेकर उसकी राशि प्राप्त करने पर से उत्पन्न किया गया है जिसके संबंध में मौखिक और दस्तावेजी दोनों प्रकार की साक्ष्य के आधार पर वादी के वाद आधार के बारे में विधिक स्थिति को देखा जाना है।

31. प्रकरण में वादी की ओर से प्रस्तुत किये गये दस्तावेजों को फर्जी व कूटरचित होने की प्ली प्रतिवादीगण की ओर से ली गई है जिसके बारे में भी विधिक स्थिति देखी जाना होगी क्योंकि वादी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों को वास्तविक और मूल बताते हुए उनके आधार पर दावा करते हुए धन वसूली चाही गई है। अभिलेख पर प्रतिवादी की ओर से जो दो साक्षी बृजमोहन शर्मा प्र०सा०-2 व आदित्य भारती प्र०सा०-1 के रूप में पेश किये गये हैं। बृजमोहन शर्मा का साक्षी के तौर पर और आदित्य भारती को प्रतिवादी के नियुक्त मुख्त्यार आम की हैसियत से साक्ष्य में पेश किया गया है। उसकी हाजिरी को वादी की ओर से चुनौती दी गई है कि वह प्रतिवादी का स्थान नहीं ले सकता है और प्रतिवादी कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर दिनेश राजौरिया को साक्ष्य के लिये आना चाहिए। क्योंकि वह स्वस्थ होकर कंपनी का संचालन कर रहे हैं कोई निर्योग्यता ऐसी नहीं है जिससे वह साक्ष्य में न आ सकें और इसी आधार पर प्र०सा०-1 के अभिसाक्ष्य को अग्राह्य किये जाने का तर्क किया गया है जबकि प्रतिवादी की ओर से आदित्य भारती को प्र०डी०-1 के द्वारा अधिकृत करना बताया गया है।

32. चूंकि मामला वादी की ओर से प्रस्तुत किया गया है और प्रमाण भार वादी पर ही है। ऐसे में यदि प्रतिवादी की ओरसे कोई भी साक्ष्य पेश न की जाये तब भी प्रमाण भार वादी पर ही बना रहता है कि वह अपने वाद आधार को प्रमाणित करे। इस दृष्टि से उक्त बिन्दु गौण हो जाता है। हालांकि प्र०डी०-1 के दस्तावेज का अध्ययन करने पर दिनांक 04.10.14 को आदित्य भारती को प्रतिवादी कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर के द्वारा विचाराधीन मामले में सभी प्रकार की कार्यवाही करने हेतु अधिकृत किया गया है। वादोत्तर में भी उसका हस्ताक्षरित प्रस्तुत प्रमाणीकरण पेश किया गया है। प्र०डी०-1 में सभी प्रकार की कार्यवाही को अधिकृत किया गया है। इसलिये वह प्रतिनिधि के रूप में साक्ष्य देने की पात्रता तो रखता है किन्तु मूल प्रतिवादी का स्थान वह नहीं ले सकता है। इसलिये प्रतिवादी पक्ष की ओर से दस्तावेजों की कूटरचना होने का जो आक्षेप वादी पर लगाया गया है उसके संबंध में प्रतिवादी की साक्ष्य की वैधानिक स्थिति आगे देखी जायेगी। प्र०सा०-1 को मुख्त्यारआम की हैसियत से बताया गया है। आदेश 3 नियम 2 सीपीसी के स्पष्ट प्रावधान मुताबिक मुख्त्यारआम मूल पक्ष का स्थान नहीं ले सकता है। निजी जानकारी के आधार पर वह साक्ष्य में बतौर साक्षी बता सकता है। जैसा कि न्याय

दृष्टांत जानकी वासुदेव भोजवानी एवं अन्य विरुद्ध इण्डसइण्ड बैंक लिमिटेड एवं अन्य ए 0आई0आर0 2005 सुप्रीमकोर्ट पेज-439 में सिद्धान्त प्रतिपादित किया गया है। इसलिये यह देखना होगा कि प्र०सा०-1 की तथ्यों के बारे में कैसे और कितनी जानकारी है क्योंकि निर्विवादित रूप से वह वर्ष 2011 में प्रतिवादी कंपनी का कर्मचारी नियुक्त हुआ है और समव्यवहार वर्ष 2009 का है।

33. प्र०पी०-1 के संबंध में प्रतिवादी की ओर से यह आधार लिया गया है कि वह फर्जी व कूटरचित है क्योंकि वादी की फर्म माँ दुर्गा खाद्य भण्डार गोहद के नाम से है और प्र०पी०-1 में मात्र दुर्गा बीज भण्डार लिखा हुआ है तथा यह आपत्ति भी ली गई है कि उस पर प्रतिवादी कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर दिनेश राजौरिया के हस्ताक्षर असल नहीं हैं। बल्कि किसी अन्य दस्तावेज के हस्ताक्षरों का फोटोकॉपी कराकर उस पर फोटोकॉपी के माध्यम से तैयार कर लिया गया है। प्रतिवादी अधिवक्ता ने मूलतः यह भी तर्क किया है कि प्रतिवादी कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर अपने हस्ताक्षर कंपनी की गोल मुद्रा के अंदर करते हैं जबकि प्र०पी०-1 में गोल मुद्रा अलग से लगी हुई है। वादी अधिवक्ता का कहना है कि हस्ताक्षर काली स्याही से हैं और जो पत्राचार दोनों पक्षों के मध्य होता रहा है उसमें कभी मूल कॉपी कभी फोटोकॉपी दी जाती थी। इस संबंध में जो विधिक स्थिति है उसे देखा जाये तो प्रतिवादी की ओर से वादी पर कूटरचना के गंभीर आक्षेप किये गये हैं। न्याय दृष्टांत इदरोपप्पा विरुद्ध स्टेट ऑफ तमिलनाडू ए०आई०आर० 1974 सुप्रीमकोर्ट पेज-555 में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा यह सिद्धान्त प्रतिपादित किया गया है कि यदि किसी दस्तावेज को दुर्भावना पर आधारित पाया जाता है तो ऐसर कहने वाले पक्षकार पर ही उसे दुर्भावनापूर्ण साबित करने का प्रबल भार होगा। प्र०पी०-1 को कूटरचित प्रतिवादी कहकर आया है इसलिये उसे कूटरचित करने का प्रमाण भार प्रतिवादी पर चला जाता है। क्योंकि वादी प्रभाकर भट्टेले वा०सा०-1 के पैरा-19 में पत्राचार में कभी मूल कॉपी तो कभी फोटोकॉपी प्राप्त होना कही गई है। जिसका कोई खण्डन अभिलेख पर नहीं है। और प्रतिवादी पक्ष की ओरसे जो दस्तावेज पेश किये गये हैं उनमें प्र०डी०-1 जिसके द्वारा आदित्य भारती प्र०सा०-1 को प्रतिवादी कंपनी की ओर से प्रकरण की समस्त प्रकार की कार्यवाही साक्ष्य सहित करने हेतु अधिकृत करना विचाराधीन मामले में बताया गया है। उस दस्तावेज में भी प्रतिवादी कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर दिनेश राजौरिया के हस्ताक्षर प्र०पी०-1 की तरह ही हैं और उसमें गोल मुद्रा अलग से लगी हुई है तथा प्र०डी०-1 के दस्तावेज पर स्वयं प्रतिवादी विश्वास करता है। ऐसे में प्रतिवादी अधिवक्ता का यह तर्क स्वमेव ही बलहीन हो जाता है कि प्रतिवादी कंपनी का मैनेजिंग डायरेक्टर हमेशा कंपनी की गोल मुद्रा के अंदर ही हस्ताक्षर करता है। और इस आधार पर प्र०पी०-1 को कूटरचित नहीं कहा जा सकता है। हालांकि प्रतिवादी के जो अन्य दस्तावेज हैं उनमें प्रतिवादी कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर प्रभाकर भट्टेले के गोल मुद्रा में हस्ताक्षर हैं जैसाकि प्र०डी०-2 लगायत 4 एवं प्र०डी०-7 लगायत 10 और प्र०डी०-15 में गोल मुद्रा के अंदर हस्ताक्षर किये गये हैं। इसलिये प्र०पी०-1 के कूटरचित होने के संबंध में जो आधार लिया है उसे विधिसम्मत नहीं ठहराया जा सकता है।

34. छल के बिन्दु पर साक्ष्य हेतु प्रतिवादी कंपनी का मैनेजिंग डायरेक्टर दिनेश राजौरिया जो कि कंपनी का संचालन निरंतर करना बताया गया है, पूर्णतः स्वस्थ भी है। वह साक्ष्य हेतु नहीं आया है और प्र०सा०-1 आदित्य भारती को प्रतिनिधि के रूप में परीक्षित कराया है किन्तु उसे प्रश्नगत समव्यवहार के संबंध में तथ्यों की विशिष्ट जानकारी का अभाव है और वह प्र०डी०-4 के आधार पर ही अपनी साक्ष्य आधारित करना बताया गया है। उसके पूर्व की कार्यवाही के संबंध में उसे समुचित ज्ञान का अभाव है। प्र०पी०-1 की कूटरचना के संबंध में लिये गये खण्डन के आधार का देखा जाये तो उसके बाबत प्र०डी०-15 का दस्तावेज ही पेश किया गया है जिसमें वादी के प्र०पी०-1 के दस्तावेज को फर्जी तौर पर कूटरचित तरीके से तैयार करने और उस पर दिनेश राजौरिया के कोई हस्ताक्षर न होने के संबंध में दिनांक 2 अप्रैल-2016 को उसे कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर द्वारा जारी किया गया है किन्तु शब्दावली को पढ़कर ऐसा लगता है कि वह वादी को सूचित करने के उद्देश्य से बनाया गया है। किन्तु वादी को भेजे जाने का न तो कहीं उल्लेख है न ही दस्तावेज की प्रति के रूप में अंकित किया है। प्र०डी०-15 में उक्त प्र०पी०-1 के दस्तावेज के कूटरचित होने के आधार पर प्रकरण के

दस्तावेज प्रदर्शित होने पर से बताया गया है जबकि प्रकरण में प्रतिवादी की सम्यक तामीली उपरान्त उपस्थित होने और दिनांक 12.01.15 का वादोत्तर प्रस्तुत करते समय दस्तावेज की उसक जानकारी होना स्पष्ट होता है। क्योंकि वादोत्तर के अभिवचनों में भी दस्तावेज कूटरचित कहा गया। ऐसे में 02 अप्रैल-2016 को प्र०डी०-15 का तैयार किया जाना कोई विधिक महत्व नहीं रखता है और उससे कूट रचना का बिन्दु स्थापित नहीं होता है। तथा अभिलेख पर ऐसा कोई प्रमाण भी प्रतिवादी की ओरसे पेश नहीं किया गया है जिससे प्र०पी०-1 के कूटरचित होने के संबंध में वैधानिक कार्यवाही अग्रसर की गई हो। स्वयं इस बिन्दु पर प्र०सा०-1 का केवल इतना कहना रहा है कि दस्तावेज कूटरचित है और फर्जी तौर पर तैयार किया गया है। किन्तु उसकी ओर से बतौर प्रतिनिधि पुलिस को या अन्य प्रकार की कार्यवाही कूटरचना के संबंध में नहीं की गई। कंपनी मैनेजिंग डायरेक्टर द्वारा की गई या नहीं, इसकी उसे जानकारी नहीं है तथा उसने अपनी तरफ से प्रतिवादी के मैनेजिंग डायरेक्टर को कोई सलाह भी नहीं दी क्योंकि वह दिनेश राजौरिया का स्वयं समझदार होना कहता है। इससे यह स्पष्ट है कि प्र०पी०-1 को कूटरचित होने का जो आक्षेप किया गया है, वह मात्र खण्डनस्वरूप है। उसको गंभीरता से प्रतिवादी द्वारा नहीं लिया गया है।

35. न्याय दृष्टांत **हरदयाल विरुद्ध आरामसिंह 2001 भाग-1 एम०पी०जे०आर० पेज-339** में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा यह सिद्धान्त प्रतिपादित किया गया है कि छल का बिन्दु उठाये जाने पर उसे सिद्ध करने का प्रमाण भार उसी पक्षकार पर होता है जो ऐसी प्ली लेता है। अर्थात् प्र०पी०-1 कूटरचित दस्तावेज है। इसे प्रमाणित करने का भार प्रतिवादी पक्ष पर था किन्तु प्रतिवादी पक्ष की ओर से इस बिन्दु पर कोई सुदृढ़ साक्ष्य पेश नहीं है और प्रतिवादी की ओर से वादी कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर दिनेश राजौरिया के मानक हस्ताक्षर जैसे कि प्र०डी०-1 लगायत 4, एवं प्र०डी०-7 लगायत 10 और 15 में बताये गये हैं उनके तुलनात्मक अध्ययन कराये जाने हेतु न तो अपनी ओर से कोई कार्यवाही की गई न ही हस्तलेख विशेषज्ञ से जांच कराये जाने की कोई प्रार्थना विचारण के दौरान न्यायालय में की गई इसलिये भी कूट रचना का आक्षेप कोई बल नहीं रखता है।

36. न्याय दृष्टांत **गुल्ला विरुद्ध हरीसिंह 1970 जे०एल०जे० पेज-207** में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा यह सिद्धान्त प्रतिपादित किया गया है कि जिस पक्षकार की जानकारी में जो तथ्य हैं, उस पर उसी को साक्ष्य देना चाहिए। यदि वह साक्ष्य नहीं देता है तो उसके विरुद्ध प्रतिकूल उपधारणा की जावेगी। प्र०पी०-1 के संबंध में कूटरचना के बाबत प्रतिवादी कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर दिनेश राजौरिया जिसके कि हस्ताक्षर जाली बनाना बताये गये हैं उसे प्रकरण में इस बिन्दु पर उपस्थित होना चाहिए था और अपनी साक्ष्य देनी चाहिए थी। उसके अभाव में यही उपधारणा निर्मित होगी कि प्र०पी०-1 कूटरचित दस्तावेज नहीं है क्योंकि जब कोई पक्षकार दस्तावेज से भिन्न कुछ प्रस्तुत करने की प्रस्थापना करता है तब उसे सिद्ध करने का भार उसी व्यक्ति पर चला जाता है जो ऐसा करता है। इसलिये कूटरचना का बिन्दु के प्रमाण का आधार प्रतिवादी पर ही था जिसके संबंध में समुचित साक्ष्य पेश नहीं की गई है। इसलिये प्र०पी०-1 को किसी भी दृष्टिकोण से कूटरचित दस्तावेज नहीं कहा जा सकता है जिस पर ही सर्वाधिक बल दिया गया है।

37. प्र०पी०-1 को इस आधार पर भी कूटरचित बताया गया है कि वादी ने प्र०पी०-21 और 22 को रजिस्टर्ड डांक से भेजना प्रमाणित नहीं किया है और उन पर दिवाकर शर्मा के कोई पावती के हस्ताक्षर नहीं हैं जिन्हें वह बताना कहता है। दिवाकरशर्मा प्रतिवादी कंपनी का कर्मचारी रहा है। इस आशय की वादी की जहाँ एक ओर स्पष्ट मौखिक साक्ष्य है वहीं दूसरी ओर उसका प्रतिवादी की ओर से स्पष्टतः प्रत्याख्यान नहीं किया गया है तथा प्र०डी०-4 जिस पर प्रतिवादी सर्वाधिक भरोसा करके आया है उसमें प्रतिवादी के कर्मचारी दिनेश दुबे, वीरेन्द्र त्यागी का उल्लेख है तथा प्रतिवादी कंपनी के मार्केटिंग स्टाफ पर वादी की ओर से दिनांक 17.09.09 को 33000/-रुपये माह मई, जून और जुलाई के वेतन के रूप में भुगतान किये जाने को स्वीकार किया गया है जिसे वादी 33000/-रुपये के वजाय 36000/-रुपये बताकर आया है। इससे भी दिवाकरशर्मा दिनेश दुबे, वीरेन्द्र त्यागी प्रतिवादी कंपनी के पूर्व कर्मचारी होना दर्शित होते हैं। ऐसे में भी प्र०पी०-1 को कूटरचित नहीं कहा जा सकता है। प्र०पी०-1 को इसलिये भी कूटरचित नहीं कहा जा सकता है कि उसमें बाजरा के बीज के

जर्मिनेशन नहीं होने पर कंपनी की ओरसे नुकसान की भरपाई कृषकों को करने की बात को स्वीकार किया गया है और उसमें भेजे गये माल का लॉट नंबर-71-1-09-3573 का उल्लेख है और उक्त लॉट का उल्लेख जहाँ एक ओर प्र०पी०-10 में है वहीं प्र०पी०-10 की जो प्रति प्र०डी०-7 के रूप में भी पेश की गई है उसमें भी है। इसलिये भी प्रतिवादी का कूटरचना का आधार निर्बल हो जाता है और कूटरचना के संबंध में प्रतिवादी का अभिवचन सबूत का स्थान नहीं ले सकता है।

38. न्याय दृष्टांत **मूलचन्द्र विरुद्ध रामशरण 2006 भाग-2 एम०पी०एल०जे० पेज-600** में यही मार्गदर्शित किया गया है कि अभिवचन सबूत का स्थान नहीं ले सकता है। उसे साक्ष्य से ही प्रमाणित करना होता है और कूटरचना के बिन्दु को किसी भी दृष्टिकोण से प्रतिवादी साबित नहीं कर सकता है। इसलिये प्र०पी०-1 के बाबत वादी साक्ष्य अधिक प्रबल है जिससे यह स्पष्ट होता है कि वादी प्रतिवादी के मध्य अनाजों के बीजों के क्रय विक्रय के संबंध में जो अनुबंध था तथा उनके बीच जिस प्रकार समव्यवहार होता रहा है उससे खराब बीज से हुए नुकसान की भरपाई के लिये प्रतिवादी कंपनी ने अपने उत्तरदायित्व को स्वीकार किया था। इसलिये प्र०पी०-21 व 22 को भी बनावटी पत्र नहीं कहा जा सकता है। हालांकि यह सही है कि प्र०पी०-22 पर जिन कृषकों के हस्ताक्षर वादी ने कराकर भेजना कहा है उनमें से किसी को साक्ष्य में पेश नहीं किया गया है किन्तु स्वयं वादी ने साक्ष्य दी है और उसका खण्डन प्र०पी०-10 और प्र०डी०-7 को देखते हुए नहीं होता है।

39. जहाँ तक बीज की दर को लेकर बिन्दु उत्पन्न किया गया है। वादी का ऐसा साक्ष्य और अभिवचन है कि बाजरा और ज्वार के बीज की दर जो प्रतिवादी से तय हुई थी उसका उल्लेख प्र०डी०-2 में है जिसके मुताबिक बाजरा 70/-रुपये प्रतिकि०ग्रा० की दर से और ज्वार 50/-रुपये प्रतिकि०ग्रा० की दर से बुक की गई थी। प्रतिवादी द्वारा प्र०पी०-2 को भी असत्य दस्तावेज बताया गया है जबकि वह हस्तलिपि में है और उस पर प्रतिवादी कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर के हस्ताक्षर हैं जो दिनांक 31.01.09 का है जिसमें इस बात का भी उल्लेख है कि वादी द्वारा डी०डी० के माध्यम से जमा की गई 310000/-रुपये की राशि प्रतिवादी कंपनी को प्राप्त हो गई है जो राशि प्राप्त होना प्रतिवादी द्वारा भी स्वीकार किया गया है। प्र०डी०-4 में भी उसका उल्लेख है तथा प्र०पी०-2 के संबंध में जहाँ एक ओर वादी की स्पष्ट साक्ष्य है वहीं उसे प्र०सा०-2 ने भी अपनी अभिसाक्ष्य के पैरा-19 में स्वीकार किया गया है कि वह पत्र प्रतिवादी कंपनी की ओर से जारी किया गया है। इसलिये प्र०पी०-2 भी प्रमाणित होता है और इससे यह स्पष्ट हो जाता है कि बाजरा की दर 70/-रुपये प्रतिकि०ग्रा० और ज्वार की दर 50/-रुपये प्रतिकि०ग्रा० की तय हुई थी जबकि प्र०पी०-10 एवं 11 के जो डिलेवरी चालान पेश हुए हैं उनमें दर बाजरा 130/-रुपये प्रतिकि०ग्रा० और ज्वार 100/-रुपये प्रतिकि०ग्रा० लगाई गई है। संभवतः इसी कारण दोनों पक्षों के मध्य जो विवाद है, और अवशेष राशि को लेकर एक दूसरे पर आक्षेप हैं वह उत्पन्न हुए। प्र०पी०-2 का कोई खण्डन नहीं है। इसलिये वादी की साक्ष्य स्वीकार योग्य मानी जावेगी कि बाजरा 70/-रुपये प्रतिकि०ग्रा० और ज्वार 50/-रुपये प्रतिकि०ग्रा० की दर से ही बुक की गई थी। प्रतिवादी अधिवक्ता का इस संबंध में यह तर्क कि वादी द्वारा जो अन्य विक्रेताओं या किसानों को बीज बेचा गया उसमें किसी को डेढ़ सौ रुपये प्रतिकि०ग्रा० की दर से, किसी को 180/-रुपये प्रतिकि०ग्रा० की दर से और किसी को 200 प्रतिकि०ग्रा० की दर से विक्रय किया गया। इस आधार पर वादी के दस्तावेज प्र०पी०-13 लगायत 18 को असत्य माना जावे, उसे स्वीकार नहीं किया जा सकता है। तथा खाद बीज विक्री के रसीद कट्टा प्र०पी०-25 व 26 एवं रोकडवही प्र०पी०-27, 28 और खातावही प्र०पी०-29 व 30 की भिन्नता के आधार पर उसे अविश्वसनीय माना जावे, उसे स्वीकार नहीं किया जा सकता है और अभिलेख पर ऐसी कोई साक्ष्य नहीं है जिससे यह स्थापित होता हो कि वा०सा०-2 व 3 वादी के रिश्ते के या मेल के होकर हितबद्धता के कारण साक्ष्य देते हों जो कि गजराज बाजरा खरीदने, उसका जर्मिनेशन न होने से उसकी राशि वादी से प्राप्त करना बताते हैं।

40. जर्मिनेशन के संबंध में यह सही है कि अभिलेख पर वादी की ओर से कोई दस्तावेजी प्रमाण इस आशय का नहीं है कि किसी विशेषज्ञ से जांच कराई जाकर रिपोर्ट ली गई हो। हालांकि वादी साक्षी कृषि अधिकारी को बताना कहते हैं। वादी प्रतिवादी कंपनी को ही इस संबंध में संसूचित

करना बताता है। जैसा कि उसकी ओर से प्रस्तुत किये गये पत्र प्र०पी०-21 एवं 22 से भी प्रकट होता है तथा वादी प्रतिवादी के मध्य बीज वापिसी के संबंध में समव्यापार हुआ है। इस बात का प्रमाण इससे भी प्राप्त होता है कि वादी द्वारा प्रतिवादी कंपनी को 1642.5 कि०ग्रा० बाजरा और 882 कि०ग्रा० ज्वार वापिस की गई थी क्योंकि प्रतिवादी यह स्वयं भी स्वीकार कर रहा है। इससे वादी प्रतिवादी के मध्य बीज वापिसी का भी समव्यवहार होना स्पष्ट है और प्र०डी०-2 के अनुबंध की कण्डिकाडी में भी अनुमति से बीज वापिसी की शर्त तथ्य थी, यह स्पष्ट होता है। ऐसे में वादी के समव्यवहार को अनुचित या कूटरचित नहीं माना जा सकता है।

41. जहाँ तक यह बिन्दु उठाया गया है कि इन्टरपार्टियों को माल भेजने के लिये कोई कंपनी की तरफ से निर्देश नहीं था और इस संबंध में कोई लिखित आदेश नहीं है। अभिलेख पर इन्टरपार्टियों को माल सप्लाई करने का लिखित में कोई आदेश वादी के पक्ष में जारी हुआ हो, ऐसा तो दर्शित नहीं होता है किन्तु प्रतिवादी ने यह स्वीकार किया है कि श्रीकृष्ण बीज भण्डार मुरैना को उसके निर्देश पर वादी माल भेजा गया था। लेकिन श्रीकृष्ण बीज भण्डार मुरैना को भी माल भेजे जाने के संबंध में कोई लिखित आदेश विधिवत कंपनी की ओरसे वादी को जारी नहीं किया गया अर्थात् इससे यही उपधारित होगा कि मौखिक रूप से इन्टरपार्टियों को माल भेजने का समव्यवहार हुआ है। ऐसे में वादी का श्रीकृष्ण बीज भण्ड के अलावा अन्य इन्टरपार्टियों अर्थात् मिश्रा बीज भण्डार मेहगांव, योगेश बीज भण्ड पोरसा, भदौरिया बीज भण्डार गोरमी, हरिश्चन्द्र जैन भिण्ड जिसकी फर्म तउआ के नाम से भी है, उन्हें प्र०पी०-14 लगायत 18 के द्वारा माल भेजा गया। हालांकि अभिलेख पर प्र०पी०-14 लगायत 18 के माध्यम से भेजी गये माल की राशि किसे प्राप्त हुई, इसके बारे में कोई दस्तावेजी प्रमाण नहीं है। वादी का यह कहना रहा है कि उक्त राशि प्रतिवादी कंपनी को मिली होगी और प्रतिवादी कंपनी उससे इन्कार करती है। लेकिन प्र०पी०-14 लगायत 18 के द्वारा माल भेजना दर्शित होता है। प्र०पी०-14 लगायत 18 के प्रतिष्ठानों के प्रोप्राईटर में से किसी को प्रतिवादी की ओर से पेश नहीं किया गया है कि उसकी राशि वादी ने प्राप्त की हो। ऐसे में यदि श्रीकृष्ण बीज भण्डार मुरैना जिसकी स्थिति भी इन्टरपार्टियों की है, उसे मौखिक निर्देश पर माल भेजा जा सकता है तो अन्य को भी माल भेजा जा सकता है। ऐसे में प्र०पी०-12 लगायत 18 के दस्तावेज असत्य नहीं कहे जा सकते हैं और प्रतिवादी का इस बारे में सुदृढ़ रूप से खण्डन नहीं है क्योंकि दोनों ही परीक्षित साक्षियों का उक्त समव्यवहार के बारे में कोई निजी तौर पर जानकारी नहीं है। तथा जिस समय का समव्यवहार है उस समय वह पदस्थ भी नहीं थे और इन बिन्दुओं का समाधान स्वयं प्रतिवादी कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर साक्ष्य में उपस्थित होकर कर सकते थे जो कि नहीं किया गया। इसलिये प्र०पी०-4 जो कि प्रतिवादी कंपनी का निजी दस्तावेज है, उसे पूरी तरह से स्वीकार नहीं किया जा सकता है। बल्कि उसमें जिस तरह की प्रविष्टियाँ हैं उससे प्रतिवादी कंपनी के निर्देश पर कर्मचारियों को वादी की ओर से खर्चा दिया जाना इन्टरपार्टियों को माल सप्लाई किया जाना, परिवहन खर्च वहन करना आदि का भी प्रमाण मिलता है। इसलिये प्र०पी०-10 और 11 के माध्यम से जो राशि वहन करना वादी बताकर आया है उसे भी अग्राह्य नहीं किया जा सकता है।

42. वा०सा०-2 व 3 की स्थिति कृषकों की है। वा०सा०-2 के अभिसाक्ष्य में बीज अगस्त 2010 में वह खरीदना बताता है जबकि जुलाई 2009 को उसे बीज वादी द्वारा बेचा जाना दस्तावेजों में दर्शित है किन्तु वह ग्रामीण कृषक है। हालांकि दसवीं पास है और फसल बोना, मजदूरों से काटना कहता है। फिर उसे सुधार करते हुए फसल का जर्मिनेशन न होना ही बताता है। यदि उसकी साक्ष्य को अग्राह्य भी कर दिया जाये तो प्रकाश जाटव वा०सा०-3 की साक्ष्य स्पष्ट है जो दस्तावेज से भी समर्थित है जिसमें बीज खरीदने और खराब होने पर उसे पैसा वापिस मिलने का प्रमाण मिलता है। वादी के लिये यह न तो संभव है न ही ऐसा संभव है कि जितने भी कृषकों को बीज बेचा गया और पैसे वापिस किये गये उन सभी को साक्ष्य में पेश किया जाये तभी पुष्टि होगी। ऐसा यह न्यायालय आवश्यक नहीं समझता है। क्योंकि वादी स्वयं साक्ष्य देने में समर्थ है और वादी की साक्ष्य में बताये गये तथ्यों का प्रतिवादी की ओर से कोई समुचित खण्डन नहीं है। क्योंकि दोनों ही प्रतिवादी साक्षियों को समव्यवहार और उससे जुड़े हुए तथ्यों के बारे में समुचित जानकारी नहीं है जिससे उनकी स्थिति औपचारिक

साक्षी मात्र की हो जाती है। ऐसे में अभिलेख पर जो मौखिक व दस्तावेजी साक्ष्य है उससे वादी के आधार को बल मिलता है और संभावनाओं का संतुलन वादी के पक्ष में दिखाई पड़ता है जिससे वह वाद प्रश्न क्रमांक-1 को प्रमाणित करने में सफल होना परिलक्षित होता है।

43. जहाँ तक वादी के दस्तावेज रोकडवही, खातावही, रसीद कट्टों की प्रविष्टियों का प्रश्न है, वादी रसीद कट्टों, खाता वही, रोकडवही आदि अर्थात् प्र०पी०-25 लगायत 30 के संबंध में लिखापट्टी मुनीम नंदकिशोर बंसल के द्वारा तैयार करना बताता है जबकि नंदकिशोर बंसल वा०सा०-4 केवल खाता वही, रोकडवही की लिखापट्टी बताता है। रसीद कट्टों की लिखापट्टी से इन्कार करता है। रसीद कट्टों पर रुपये वापिसी की पावती की टीप में दिनांकों का उल्लेख नहीं है जैसाकि साक्ष्य में भी आया है। केवल उसके आधार पर रसीद कट्टे की दोनों प्रतियों जो फार्मेट में न होने के आधार पर उन्हें कूटरचित दस्तावेज नहीं कहा जा सकता है क्योंकि सादा रूप से विक्रय में सादा रसीद की कार्बन प्रति प्लेन पेपर पर संभव है। मूल प्रति छपे हुए प्रारूप में ही है। हालांकि सभी रसीदें पेश नहीं हैं। प्र०पी०-15 लगायत 18 की रसीद प्रारूप में हैं उन पर टिन नंबर का उल्लेख अवश्य नहीं है किन्तु उनका खण्डन जिन दुकानों को माल भेजा गया उनमें से किसी की ओर से नहीं कराया गया है। जबकि कूटरचित साबित करने का प्रमाण भार तो प्रतिवादी पर चला गया था ऐसे में वादी के दस्तावेजों को कूटरचित आये दस्तावेजों को देखते हुए नहीं माना जा सकता है। क्योंकि सिविल मामले का निराकरण संभावनाओं के संतुलन के आधार पर किया जाता है कि न कि संदेह के आधार पर। किसी साक्षी को विश्वसनीय या अविश्वसनीय दाण्डिक मामलों में माने जाने की प्रथा है इसलिये प्रतिवादी के विद्वान अधिवक्ता का तर्क विधिसम्मत नहीं माना जा सकता है।

44. यहाँ यह भी उल्लेखनीय है कि प्रतिवादी श्रीकृष्ण बीज भण्डार को उसके निर्देश पर वादी द्वारा माल सप्लाई करना स्वीकार करता है। किन्तु श्रीकृष्ण बीज भण्डार की राशि किसे प्राप्त हुई, उसका कोई लिखित या मौखिक प्रमाण पेश नहीं किया गया है और इस बिन्दु पर प्रतिवादी मौन स्थिति में है। इसलिये वादी का यह कहना कि इण्टरपार्टियों को भेजे गये माल की राशि प्रतिवादी कंपनी को प्राप्त हुई, उसे बल मिलता है और अन्य इण्टरपार्टियों को माल भेजे जाने की पुष्टि होती है। ऐसे में वादी द्वारा प्रतिवादी कंपनी को जमा की गई राशि प्राप्त माल, इण्टरपार्टियों को भेजे माल, प्रतिवादी कंपनी को वापिस किये गये माल तथा शेष रहे माल का जो विवरण और राशि अपने अभिवचनों और साक्ष्य में बताई है उसकी प्रमाणिकता को बल मिलता है और वादी के संपूर्ण वाद आधारों को इस आधार पर समाप्त नहीं माना जा सकता है कि प्र०पी-23 का जो दावा पूर्व मांग सूचना पत्र भेजा गया उसकी कण्डिका-3 में बाजरा के स्थान पर ज्वार लिख गया, कण्डिका-2 में बीज की दर का विवाद बताया है। तथा कण्डिका-3 में इण्टरपार्टियों को भेजे गये माल की राशि का गलत विवरण दिया क्योंकि वह दस्तावेजों से मेल खाता है और सार रूप में अभिवचन है कि प्रत्येक बिन्दु पर स्पष्ट साक्ष्य है जबकि प्रतिवादी साक्षियों को महत्वपूर्ण बिन्दुओं के बारे में कोई जानकारी तक नहीं है इसलिये वादी द्वारा जो सभी समव्यवहारों के आधार पर प्रतिवादी कंपनी पर 213499/-रुपये अवशेष निकलना बताये हैं वह उपलब्ध मौखिक व दस्तावेजी साक्ष्य के समग्र रूप से विश्लेषण किये जाने पर प्रमाणित होना पाये जाते हैं। फलतः वाद प्रश्न क्रमांक-1 वादी के पक्ष में प्रमाणित निर्णीत किया जाता है।

45. जहाँ तक वाद प्रश्न क्रमांक-2 का प्रश्न है, जिसके तहत वादी ने उक्त अवशेष राशि पर 18 प्रतिशत वार्षिक ब्याज की मांग की है, इस बिन्दु पर विस्तृत मौखिक साक्ष्य नहीं आई है किन्तु प्र०डी०-2 का वादी, प्रतिवादी के मध्य जो अनुबंध डिस्ट्रीब्यूटरशिप को लेते हुए हुआ था उसमें नौ प्रतिशत साधारण ब्याज का उल्लेख कण्डिका-ई में है और व्यापारिक समव्यवहार को देखते हुए उक्त नौ प्रतिशत ब्याज ही वादी प्रतिवादी से उपरोक्त वर्णित अवशेष 2,13,499/-रुपये पर वाद प्रस्तुति दिनांक से पूर्ण अदायगी तक पाने का अधिकारी होना पाया जाता है। अतः वाद प्रश्न क्रमांक-2 आंशिक रूप से वादी के पक्ष में निर्णीत कर नौ प्रतिशत साधारण ब्याज पाने की अधिकारिता होना निर्णीत किया जाता है।

वाद प्रश्न क्रमांक-4 का निराकरण

46. उक्त वाद प्रश्न प्रतिवादी के विरुद्ध अभिवचनों पर निर्मित हुआ था जिसके संबंध में प्रतिवादी की ओर से दी गई मौखिक साक्ष्य में दोनों ही साक्षी बृजमोहनशर्मा प्र०सा०-1 और आदित्य भारती प्र०सा०-2 ने इस आशय की साक्ष्य दी है कि वादी पर प्रतिवादी कंपनी के 279182/-रुपये निकलते हैं जो वादी ने अदा नहीं किये हैं जिसकी अनेक बार मांग की गई और उसके बावजूद भुगतान न करने पर कंपनी द्वारा रिमाइण्डर भी दिया गया। वादी ने मांग करने पर फोन भी बंद कर लिया था और फिर उसके बाद सिटी सिविल कोर्ट अहमदाबाद में वसूली का दावा पेश किया जो डिक्री हो चुका है और उसकी इजरा अंतरित होकर गोहद सिविल जज न्यायालय में विचाराधीन है और उसी डिक्री से बचने के लिये वादी ने झूठा दावा असत्य व कूटरचित दस्तावेजों के आधार पर पेश किया है जिससे वादी ने इन्कार किया है। मौखिक साक्ष्य में भी इन्कार किया है। इस बिन्दु पर प्रतिवादी की ओर से जो दस्तावेज पेश किये गये हैं, उनमें सिटी सिविल कोर्ट अहमदाबाद में वादी की ओर से संचालित किये गये सिविल वाद के निर्णय की प्रमाणित प्रतिलिपि प्र०डी०-5, डिक्री प्रमाणित प्रतिलिपि प्र०डी०-6 के अलावा उक्त निराकृत मामले में भेजी गई तामीलें प्र०डी०-11 लगायत 14 को पेश किया है जिनके अवलोकन से यह स्पष्ट है कि सिटी सिविल कोर्ट अहमदाबाद के द्वारा जो डिक्री प्रदान की गई है वह एकपक्षीय है। वादी की ओर से यह बताया गया है कि एकपक्षीय डिक्री को अपास्त करने की कार्यवाही की जा चुकी है। स्वीकृत तौर पर इजरा प्रकरण सिविल जज वर्ग-2 गोहद के न्यायालय में अंतरित होकर प्राप्त हुआ है। सिटी सिविल कोर्ट अहमदाबाद का जो मामला प्रतिवादी कंपनी की ओर से संचालित हुआ था वह प्र०क०-47/11 का है अर्थात् वह वर्ष 2011 में पश हुआ। वर्तमान वाद भी दस फरवरी-2011 को प्रस्तुत किया गया था। प्र०पी०-5, 6 एवं 11 लगायत 14 के दस्तावेजों के आधार पर ऐसा प्रकट नहीं होता है कि सिटी सिविल कोर्ट अहमदाबाद से निर्णीत प्रकरण के बचाव में उक्त वाद प्रस्तुत किया गया। क्योंकि सिटी सिविल कोर्ट अहमदाबाद के प्र०क०-47/11 की एकपक्षीय डिक्री दिनांक 09.08.12 को हुई है जिससे पूर्व ही वर्तमान वाद विचारण में आ चुका था तथा मूल समव्यवहार जिन पर वादी ने वाद आधारित किया है उसे वाद प्रश्न क्रमांक-1 के विस्तृत रूप से किये गये विश्लेषण में स्थापित माना जा चुका है। इसलिये यह नहीं माना जा सकता है कि सिटी सिविल कोर्ट अहमदाबाद के द्वारा प्र०डी०-5 व 6 की प्रदत्त निर्णय व डिक्री के बचाव में उक्त वाद वादी द्वारा प्रस्तुत किया गया था। इसलिये इस बिन्दु पर प्रतिवादी की मौखिक साक्ष्य को सही नहीं माना जा सकता है और वर्तमान वाद एकपक्षीय डिक्री के पूर्व से संचालित होने से उक्त वाद प्रश्न क्रमांक-4 को भी प्रतिवादी के विरुद्ध निर्णीत कर अप्रमाणित ठहराया जाता है।

वाद प्रश्न क्रमांक-5 का निराकरण

47. उपरोक्त समग्र विश्लेषण के आधार पर वादी अपने वाद आधारों को प्रमाणित करने में सफल हुआ है इसलिये वादी का वाद स्वीकार योग्य होने से स्वीकार कर वादी के पक्ष में एवं प्रतिवादी कंपनी के विरुद्ध निम्न आशय की डिक्री प्रदान की जाती है कि:-

1. प्रतिवादी कंपनी सोना जेनेटिक्स प्राईवेट लिमिटेड अहमदाबाद को आदेशित किया जाता है कि वह वादी को अवशेष राशि 2,13,499/-रुपये(दो लाख तेरह हजार चार सौ निन्यानवै रुपये) एवं उस पर वाद प्रस्तुति दिनांक से पूर्ण अदायगी तक नौ प्रतिशत वार्षिक ब्याज जोड़ते हुए राशि दो माह के भीतर भुगतान करे। अन्यथा वादी वैधानिक कार्यवाही कर उक्त राशि मय ब्याज वसूल कर सकेगा।

2. प्रकरण की परिस्थितियों को देखते हुए प्रतिवादी कंपनी अपने प्रकरण व्यय के साथ साथ वादी का व्यय भी वहन करेगी जिस पर अभिभाषक शुल्क प्रमाणित किये जाने पर या तालिका अनुसार

जो भी कम हो जोड़ा जावे।

तदनुसार डिक्री तैयार की जावे।

दिनांक **28.06.2016**

निर्णय खुले न्यायालय मे हस्ताक्षरित एवं
दिनांकित कर घोषित किया गया।

मेरे बोलने पर टंकित किया गया।

(पी०सी०आर्य)

द्वितीय अपर जिला न्यायाधीश
गोहद जिला भिण्ड (म०प्र०)

(पी०सी०आर्य)

द्वितीय अपर जिला न्यायाधीश
गोहद जिला भिण्ड (म०प्र०)

सामान्य जानकारी हेतु प्रतिलिपि
(शासकीय / विधिक उपयोग हेतु अमान्य)

सामान्य जानकारी हेतु प्रतिलिपि
(शासकीय / विधिक उपयोग हेतु अमान्य)